अति महत्वपूर्ण

संख्या-4/2021/221/एक-1-2021-20(5)/2016

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊः दिनॉक: 06 अप्रैल, 2021

विषयः-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में किये गये संशोधन तथा राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राजस्व विधियों में सहजता लाने तथा इज आफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 219 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रतिनिधायन व नीतिगत निर्णय लिये गये हैं।

2. प्रायः देखा जाता है कि जनपद व मण्डल स्तर पर उक्त संशोधनों का संज्ञान नहीं लिया जाता है तथा जिन प्रकरणों के लिये जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त सक्षम प्राधिकारी है, वह प्रस्ताव भी अनावश्यक रूप से शासन को प्रेषित कर दिया जाता है, जिसके कारण प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

3. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन तथा राज्य सरकार की शक्तियों का प्रतिनिधायन व समय-समय पर लिये गये नीतिगत निर्णय मुख्यतः निम्नवत् हैः-

[क] उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में संशोधन

(1) कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि की उद्घोषणा -

(i) **चहारदीवारी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना**- अधिसूचना संख्या-1469 /79-वि-1-19-1(क)4-19 दिनांक-05.08.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 80 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि की उद्घोषणा हेतु जोत या उसके आंशिक भाग के चारों ओर चहारदीवारी बनाया जाना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनिवार्य किया गया था। गैर कृषि भूमि की उद्घोषणा हेतु उक्त चहारदीवारी की अनिवार्यता को अधिसूचना संख्या-2164/79-वि-1-20-2(क)24-2020 दिनांक-28.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की धारा 80 में संशोधन कर समाप्त कर दिया गया है।

(ii) **<u>गैर कृषिक उद्घोषणा को समयबद्ध किया जाना</u>**- अधिसूचना संख्या-1551/79-वि-1-20-1(क)-36-20 दिनांक-31.08.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 80 में संशोधन कर कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि की उद्घोषणा हेतु अधिकतम 45 दिन की समय सीमा भी निर्धारित की गयी है।

(2) **<u>सीलिंग सीमा 5.0586हे0 (12.50 एकड़) से अधिक क्रय की अनुमति के संबंध में</u>**-

(i) **<u>क्रय हेतु पूर्वानुमति की शक्ति का प्रतिनिधायन</u>**- अधिसूचना संख्या-1469/79-वि-1-19-1(क)4-19 दिनांक-05.08.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 89 की उपधारा (4) द्वारा विहित सीमा 5.0586हे0 (12.50 एकड़) से अधिक भूमि अर्जन अथवा क्रय की अनुज्ञा प्रदान करने की शक्ति 20.2344हे0 तक संबंधित कलेक्टर, 20.2344हे0 से अधिक और 40.4688हे0 तक संबंधित मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित की गयी है। 40.4688 हे0 से अधिक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने की अनुज्ञा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की अनुमति का स्तर उपरोक्तानुसार होगा, किन्तु शासनादेश संख्या-746/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 में वर्णित शेष व्यवस्था व प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-156/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 28.01.2021 द्वारा मण्डलायुक्त स्तर से दी जाने वाली 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु अधिकतम 60 दिन की समय सीमा भी निर्धारित की गयी है।

(ii) **<u>बिना पूर्वानुमति के क्रय की गयी भूमि का विनिमितीकरण</u>**- अधिसूचना संख्या-2164/79-वि-1-20-2(क)24-2020 दिनांक 28.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की धारा 89 की उपधारा (3) में संशोधन कर बिना पूर्वानुमति के क्रय की गयी विहित सीमा 5.0586हे0 (12.50 एकड़) से अधिक भूमि को विनियमित करने की व्यवस्था की गयी है। इस हेतु राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1577/एक-1-2020-रा0-1, दिनांक 30.12.2020 द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण भी किया गया है, जिसके अनुसार बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण हेतु आवेदन पत्र शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रशासकीय विभाग द्वारा 10 प्रतिशत जुर्माने के साथ अथवा उक्त जुर्माने से छूट प्रदान करने के प्रस्ताव पर विनियमितीकरण हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा औपचारिक आदेश निर्गत किया जायेगा।

(3) **<u>राजस्व संहिता की धारा 101 में संशोधन</u>**- अधिसूचना संख्या-1551/79-वि-1-20-1(क)-36-20 दिनांक-31.08.2020 द्वारा ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि के विनिमय की प्रक्रिया को सहज बनाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 101 में भी संशोधन कर यह व्यवस्था की गयी है कि निजी भूमि का मूल्यांकन, यदि सार्वजनिक भूमि के मूल्यांकन से 10 प्रतिशत अधिक हो तथा निजी भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक भूमि से 25 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में भी विनिमय पर विचार किया जा सकता है।

(4) **<u>निजी भूमि का पट्टा</u>**- अधिसूचना संख्या-1469/79- वि-1-19-1(क)4-19 दिनांक-05.08.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 94 द्वारा भूमिधरों को कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु निजी पट्टे पर देने के लिये निजी पट्टा निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

(5) **<u>थर्ड जेण्डर को परिवार की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना</u>**- अधिसूचना संख्या-1551/79-वि-1-20-1(क)-36-20 दिनांक-31.08.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 4 व अन्य संगत धाराओं में संशोधन कर थर्ड जेण्डर को सम्मिलित किया गया है। इससे थर्ड जेण्डर को पैतृक सम्पति में अधिकार मिल सकेगा।

[ख] <u>उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन</u>

(1) **<u>सीमा विवाद व वरासत दर्ज किये जाने के संबंध में</u>**- अधिसूचना संख्या-1560/ एक-1-2020-रा0-1, दिनांक 29.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 के नियम-16 व 22 में संशोधन कर सीमा विवाद के निपटारे के लिये समुचित व्यवस्था की गयी है। नियम-31 में संशोधन कर वरासत दर्ज किये जाने की कार्यवाही ऑन लाइन किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(2) **<u>विनिमय हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना</u>**- अधिसूचना संख्या-1560/एक-1-2020-रा0-1 दिनांक-29.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 के नियम-101 में संशोधन कर भूमि प्रबंधक समिति का प्रस्ताव अथवा कलेक्टर द्वारा अनुमोदित उपजिलाधिकारी के स्वप्रेरणा प्रस्ताव के आधार पर कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) **राजस्व न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत आदेश जारी किये जाने के संबंध में** - अधिसूचना संख्या-1560/एक-1-2020-रा0-1 दिनांक-29.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 के नियम-188 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गयी है कि राजस्व संहिता, 2006 के अधीन समस्त वाद राजस्व परिषद द्वारा प्रबन्धकृत न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस0) के पोर्टल पर दर्ज किये जायेंगे। समस्त राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा जारी ऐसे स्वजनित बार कोडेड आदेश पत्रकों पर ही आदेश पारित करेंगे।

[ग] राज्य सरकार की शक्तियों का प्रतिनिधायन व नीतिगत निर्णय

(1) **ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि के संबंध में-**

(i) **राज्य सरकार एवं भारत सरकार की परियोजनाओं हेतु श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनिमय की शक्ति का प्रतिनिधायन** - राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक-06.07.2020 द्वारा ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि का श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनिमय की शक्ति ऐसी दशा में जहां उक्त श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी विभाग हेतु प्रस्तावित हो, कलेक्टर/मण्डलायुक्त को प्रतिनिधानित की गयी है। शासनादेश संख्या-720/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 07.07.2020 द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार हेतु प्रस्तावित श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय के नये प्रस्ताव शासन को प्रेषित न करने के निर्देश दिये गये हैं तथा पूर्व में प्रेषित ऐसे प्रकरणों जिनके संबंध में 06.07.2020 तक शासन द्वारा अधिसूचना/शासनादेश निर्गत नहीं किये गये हैं, उन प्रकरणों में भी राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06.07.2020 के आलोक में कलेक्टर/मण्डलायुक्त के स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(ii) **निजी संस्थाओं हेतु विनिमय के लिये कतिपय परियोजनाओं हेतु विनिमय की शक्ति का प्रतिनिधायन**- उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित सामान्य श्रेणी की भूमि के विनिमय की शक्ति उपजिलाधिकारी में निहित है। ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित आरक्षित श्रेणी की भूमि का विनिमय, ऐसी दशा में जहां उक्त विनिमय किसी निजी संस्था अथवा व्यक्ति के लिये प्रस्तावित हो, उक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किये जाने की व्यवस्था है। अधिसूचना संख्या-217/एक-1-2020-रा0-1, दिनांक 10.02.2021 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

केवल ऐसी दशा में जहां ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि का विनिमय शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, पीपीपी मॉडल पर निजी कालेजों की स्थापना तथा ऐसी निवेश परियोजनाएं, जिन्हें शासन की विभिन्न नीतियों में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हो चुका है, के प्रकरणों में चकरोड व नाली इत्यादि की भूमि के विनिमय की शक्ति मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधानित की गयी है।

(iii) **<u>सहायक कलेक्टर की शक्ति का तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) को प्रतिनिधायन</u>**- अधिसूचना संख्या-1510/एक-1-2020-रा0-1, दिनांक 29.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन यथा विहित रूप में सहायक कलेक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए दिनांक 11.02.2016 से तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) को प्राधिकृत किया गया है।

(iv) **<u>प्रत्येक ग्रामसभा में खेल का मैदान विकसित किए जाने के संबंध में</u>**- शासनादेश संख्या-1747/एक-1-2020-रा0-1, दिनांक 15.01.2020 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में अनिवार्य रूप से 01 हेक्टेयर समुचित भूमि चिन्हित कर उस पर खेल का मैदान विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

4. उपरोक्त समस्त संशोधनों/शासनादेशों/अधिसूचनाओं की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संशोधनों/शासनादेशों/अधिसूचनाओं को अपने अधीनस्थों (तहसील स्तर तक) के मध्य प्रचारित प्रसारित कराते हुए उनमें वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक</u>:

1- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019
2- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020
3- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020
4- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020
5- शासनादेश संख्या- 1747/एक-1-2020-रा0-1, दिनांक 15.01.2020
6- शासनादेश संख्या- 689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06.07.2020
7- शासनादेश संख्या- 720/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 07.07.2020
8- अधिसूचना संख्या-1510/एक-1-2020-रा0-1, दिनांक 29.12.2020
9- शासनादेश संख्या- 1577/एक-1-2020-रा0-1, दिनांक 30.12.2020
10- शासनादेश संख्या- 156/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 28.01.2021
11- अधिसूचना संख्या- 217/एक-1-2020-रा0-1, दिनांक 10.02.2021

भवदीय,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।

(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।

(4) अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त वर्णित व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें।

(5) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त संशोधनों का संज्ञान लेकर उन्हें प्रचारित प्रसारित कराते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(6) गार्ड फाइल/ http://shasanadesh.up.gov.in/ पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

महेन्द्र सिंह

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

क्रम संख्या-151 (क-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 5 अगस्त, 2019

श्रावण 14, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1469/79-वि-1-19-1(क)4-19

लखनऊ, 5 अगस्त, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे राजस्व अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 2 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगीकरण और कृषि विकास के लिए भूमि की उपलब्धता सुगम बनाने तथा भू-धारकों के उत्तराधिकार से संबंधित विषयों में परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 10 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 24 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 24 में, उपधारा (4) में, शब्द "आयुक्त का आदेश अंतिम होगा," के स्थान पर शब्द "आयुक्त का आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अध्यधीन अन्तिम होगा," रख दिये जायेंगे।

धारा 38 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (4) में शब्द "आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा" के स्थान पर शब्द "आयुक्त का निर्णय, धारा 210 के उपबन्धों के अध्यधीन अंतिम होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 66 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 66 में, उपधारा (3) में शब्द "इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा" के स्थान पर शब्द "इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अध्यधीन अन्तिम होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 69 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 69 में, उपधारा (3) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ग) सामान्य उपयोगिता की भूमि के संरक्षण, परिरक्षण और विकास पर उपगत व्ययों का भुगतान, और;"

धारा 72 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (1) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ग) मण्डलीय मुख्यालय के लिए एक या उससे अधिक मण्डलीय शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) "जो परिषद के सर्किट न्यायालयों (जहां कहीं मण्डल स्तर पर सर्किट न्यायालय विद्यमान हों) से सम्बन्धित कार्य का देखभाल भी करेंगे और"

धारा 77 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 77 में, उपधारा (2) में शब्द "उसी ग्राम पंचायत" के स्थान पर शब्द "उसी अथवा किसी निकटवर्ती ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे।

धारा 80 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 80 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"80 (1) जहां संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर, अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए करता है, वहां उपजिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर यथा विहित जांच करने के पश्चात या तो कोई घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या वह आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। उपजिलाधिकारी आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवसों के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा। यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उपजिलाधिकारी ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों को उल्लिखित करेगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देगा;

(2) जहाँ संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर, अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का भविष्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करता है वहाँ ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर उपजिलाधिकारी, यथाविहित रूप में जाँच करने के पश्चात आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवस के भीतर या तो यह घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा सकता है या वह आवेदन अस्वीकृत कर सकता है। यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो उपजिलाधिकारी को ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों का उल्लेख करना होगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देनी होगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन घोषणा के लिए जोत या उसके आंशिक भाग के चारों ओर चहारदिवारी अवश्य होनी चाहिए जो इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो:

परन्तु यह और कि यदि भूमिधर, इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी:

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू–उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि, भूमिधर, ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) अपनी जोत या उसके आंशिक भाग के लिए उपधारा (2) के अधीन घोषणा धारण करने वाला कोई भूमिधर, उपधारा (2) के अधीन घोषणा पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण क्रिया–कलाप पूर्ण कर लेने या प्रस्तावित गैर कृषि क्रिया–कलाप प्रारम्भ करने के पश्चात् उपधारा (2) की घोषणा को उपधारा (1) की घोषणा से आच्छादित करने के लिए उप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। ऐसा कोई आवेदन प्राप्त किये जाने पर, उपजिलाधिकारी यथा आवश्यक जाँच करने के पश्चात् आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर आवेदन स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा। अस्वीकृति की स्थिति में उसे ऐसी अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करना होगा:

परन्तु यह कि उपधारा (2) के अधीन घोषणा का, उपधारा (1) के अधीन घोषणा में संपरिवर्तन के लिए भूमिधर पूर्व में उपधारा (2) के अधीन घोषणा के लिए अपने द्वारा पहले ही भुगतान की गई धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् प्रचलित सर्किल दर पर आगणित संदेय शुल्क की मात्र अवशेष धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा के लिए भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित रखने वाले किसी सह–भूमिधर द्वारा किया गया कोई आवेदन तब तक पोषणीय नहीं होगा जब तक कि ऐसी भूमिधरी भूमि के समस्त सह–भूमिधरों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है। यदि कोई एक सह–भूमिधर, संयुक्त हित की भूमि में से अपने अंश की घोषणा कराना चाहता है तो ऐसा आवेदन, भूमि में सह–भूमिधरों के अपने–अपने अंशों का विभाजन विधि के उपबन्धों के अनुसार किये जाने के पश्चात ही ग्रहण किया जायेगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन घोषणा के लिए आवेदन में ऐसे विवरण अंतर्विष्ट होंगे और उक्त आवेदन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(6) जहां उपधारा (1) या (2) के अधीन आवेदन जोत के किसी आंशिक भाग के संबंध में किया जाता है, वहां उप जिलाधिकारी विहित रीति से ऐसे आंशिक भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजन के लिए कर सकता है।

(7) इस धारा के अधीन कोई घोषणा, उपजिलाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग, ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या जो महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरूद्ध हो।

(8) यदि भूमि या उसका आंशिक भाग, जिसके लिए इस धारा के अधीन घोषणा की अपेक्षा की जा रही हो, किसी नगरीय या औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तो सम्बन्धित विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा आज्ञापक होगी।

(9) राज्य सरकार इस धारा के अधीन घोषणा के लिए शुल्क–मान नियत कर सकती है और भिन्न–भिन्न शुल्क भिन्न–भिन्न प्रयोजनों के लिए नियत किये जा सकते हैं:

परन्तु यह कि यदि आवेदक जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग अपने निजी आवासीय प्रयोजन के लिए करता है तो इस धारा के अधीन घोषणा के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।"

धारा 81 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 81 में, शब्द और अंक "धारा 80" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा–80 की उपधारा (1)" रख दिये जायेंगे।

धारा 89 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 89 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किया गया या किये जाने हेतु प्रस्तावित किसी अर्जन अथवा क्रय को अनुमोदित कर सकता है, यदि ऐसा अर्जन अथवा क्रय, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी शैक्षिक या पूर्त संस्था के पक्ष में हो, और यदि उसकी राय हो कि ऐसा अर्जन अथवा क्रय लोक हित में होगा तथा उससे आर्थिक गतिविधियां (कृषि से इतर) उत्पन्न किया जाना तथा रोजगार उपबन्धित किया जाना सम्भावित हो। ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्ध ऐसे अर्जन पर लागू नहीं होंगे:

परन्तु यह कि जहां भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी शैक्षिक या किसी पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा क्रय की गई हो वहां राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत का पांच प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती अथवा सकता है;

(4) किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास समिति अथवा किसी शैक्षिक या पूर्त संस्था द्वारा उपधारा (2) के अधीन विहित सीमाओं से अधिक भूमि अर्जन अथवा क्रय के लिए उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा निम्नलिखित द्वारा विहित शर्तों पर एवं विहित रीति से प्रदान की जायेगी:–

(एक) 20.2344 हेक्टेयर तक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु सम्बन्धित कलेक्टर;

(दो) 20.2344 हेक्टेयर से अधिक और 40.4688 हेक्टेयर तक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त;

(तीन) 40.4688 हेक्टेयर से अधिक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु राज्य सरकार:

परन्तु यह कि यदि आवेदक, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगे:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, उपधारा (3) के अधीन प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को, तदनिम्मित कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अधिकतम अग्रतर तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है।"

धारा 94 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 94 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा

"94(1) कोई भूमिधर किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति या कृषि हेतु या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु किसी अन्य विधिमान्य इकाई को अपनी जोत या उसके किसी आंशिक भाग को पट्टे पर दे सकता है। ऐसे पट्टे को किसी भूमिधर के निजी पट्टा के रूप में जाना जायेगा।

(2) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा का तात्पर्य पट्टाकर्ता, जो कोई भूमिधर हो सकता है, व पट्टेदार, जो कृषि क्रियाकलाप का दायित्व ग्रहण करना या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना चाहता हो, के मध्य पारस्परिक रूप से करारकृत निबन्धन और शर्तों पर करार आधारित संविदा से है जिसके द्वारा पट्टा करार के अनुसार पट्टेदार को संदेय नकद या वस्तु या उत्पाद अंश के रूप में किसी प्रतिफल के सापेक्ष कृषि प्रयोजनों हेतु या सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करने हेतु भूमि या जोत या उसके किसी आंशिक भाग के उपयोग के लिए पट्टाकर्ता पट्टेदार को अनुज्ञा प्रदान करता है।

(3) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की अवधि– किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे की अधिकतम अवधि एक बार में पन्द्रह वर्ष से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह कि, प्रथम पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात्, पट्टा अवधि की समय सीमा में पट्टाकर्ता व पट्टेदार की पारस्परिक सहमति से अग्रतर वृद्धि की जा सकती है:

परन्तु यह और कि, कोई सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के प्रयोजनार्थ, अधिकतम अवधि तीस वर्ष तक हो सकती है।

(4)किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की शर्तें– किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की निबन्धन व शर्तें, पट्टाकर्ता व पट्टेदार के मध्य पारस्परिक करारकृत होंगी। पट्टे की सामान्य शर्तें यथा विहित रीति से होंगी।"

धारा 95 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 95 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

पट्टा किस प्रकार किया जाएगा, उसका पर्यवसान तथा तत्सम्बन्ध में उठने वाला कोई विवाद

"95 किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा मौखिक या लिखित या रजिस्ट्रीकृत हो सकता है–

(1) किसी एकल फसल हेतु अथवा एक वर्ष तक की अवधि हेतु किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा मौखिक या लिखित में हो सकता है। एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा करार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जायेगा;

(2) अधिकार अभिलेख की अभ्युक्तियों वाले स्तम्भ में किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा को अभिलिखित किया जाना–लिखित या रजिस्ट्रीकृत निजी पट्टा करार की स्थिति में, करार या विलेख की कोई प्रति, सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी, जो किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार का विवरण [पट्टाकर्ता व पट्टेदार का नाम और अन्य विवरण; करार का दिनांक; पट्टा अवधि; प्रस्तावित भू–उपयोग और वार्षिक पट्टा किराया] अधिकार अभिलेख (खतौनी) की अभ्युक्तियों वाले स्तम्भ में अभिलिखित करने हेतु आदेश पारित करेगा;

(3) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा से किसी प्रकार का अभिधारण अधिकार सृजित नहीं होगा– रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या किसी राजस्व अधिकारी या ग्राम प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित या किसी नोटरी द्वारा नोटरीकृत या मौखिक, किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार से, पट्टाकृत भूमि पर पट्टेदार के पक्ष में संरक्षित अभिधारण या अधिभोग अधिकार या इस अधिनियम या नियमावली में अन्तर्विष्ट अधिकारों से भिन्न बेदखली या पट्टा पर्यवसान के विरूद्ध कोई अन्य अधिकार सहित कोई अधिकार या हित सृजित नहीं होंगे। पट्टेदार द्वारा निजी पट्टा करार का उपयोग, किसी विधि न्यायालय में पट्टाकृत भूमि पर कोई स्थायी अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं किया जायेगा;

(4) भूमि का पुनः प्राप्त किया जाना– किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा अवधि की समाप्ति या किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा के पर्यवसान के पश्चात किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा– लिखत शून्य हो जायेगा तथा यदि किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो पट्टाकृत भूमि स्वतः पट्टाकर्ता को प्रत्यावर्तित हो जायेगी और पट्टेदार समस्त विल्लंगमों से मुक्त भूमि का शान्तिपूर्ण कब्जा पट्टाकर्ता को सौंप देगा तथा वह इस प्रकार निजी पट्टा पर दी गयी भूमि का कोई अधिकार, हक या हित रखने से प्रविरत हो जायेगा;

स्पष्टीकरण– धारा 94 के अधीन किये गये निजी पट्टे से उत्पन्न होने वाले किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी विवाद पर ध्यान दिये बिना, पट्टाकर्ता को निजी पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात् पट्टाकृत भूमि का शान्तिपूर्ण कब्जा प्राप्त करने का हक होगा तथा पट्टेदार को पट्टाकृत भूमि पर कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं होगा;

(5) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा का प्रभाव– किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे के सम्बन्ध में संहिता में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा;

(6) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे का पर्यवसान–

(क) जब तक पट्टाकर्ता व पट्टेदार के मध्य पारस्परिक सहमति से बढ़ाया न जाए, करार में उल्लिखित निजी पट्टा, पट्टा अवधि के समाप्त होने पर निजी पट्टा, पट्टा करार का पर्यवसान हो जायेगा;

(ख) पट्टेदार द्वारा नियत दिनांक तक प्रतिफल धनराशि अथवा वार्षिक निजी पट्टा, पट्टा किराया का भुगतान न किये जाने की स्थिति में पट्टा अथवा यदि उसके द्वारा किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे की किसी निबन्धन एवं शर्त का उलंघन किया जाता है तो पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को लिखित नोटिस दिये जाने के पश्चात, पट्टा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार का पर्यवसान किया जा सकता है;

(ग) यदि पट्टाकर्ता द्वारा समय से पूर्व किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार का पर्यवसान किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है, तो पट्टेदार को पट्टाकृत भूमि पर पट्टेदार द्वारा सृजित या स्थापित संरचनाओं, मशीनरी आदि को हटाने का हक होगा। पट्टेदार को पट्टाकर्ता से निजी पट्टा करार में यथा करारकृत और निर्धारित क्षतियां और प्रतिकर वसूल करने का भी हक होगा;

(घ) यदि पट्टेदार समय से पूर्व निजी पट्टा करार का पर्यवसान करना चाहता है या किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा अवधि के दौरान भूमि अभ्यर्पित कर देता है तो, उसे कम से कम छः माह की नोटिस पट्टाकर्ता को देनी होगी तथा वह पट्टाकर्ता को किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार में यथा करारकृत तथा निर्धारित अन्य प्रतिकर के अतिरिक्त वर्ष के शेष भाग के वार्षिक किराये का भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा या जैसा कि विहित किया जाय;

(ङ) यदि किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा अवधि की समाप्ति या निजी पट्टा करार के पर्यवसान के पश्चात् पट्टेदार, पट्टाकर्ता को पट्टाकृत भूमि का शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने में विफल रहता है तो पट्टेदार अप्राधिकृत अध्यासी के रूप में समझा जाएगा तथा वह पट्टाकृत भूमि से बेदखल किये जाने योग्य होगा। पट्टेदार पट्टाकर्ता को अप्राधिकृत अध्यासन अवधि के लिए ऐसे शास्तिक किराया या क्षतियों का भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा, जैसा कि ऐसी बेदखली की लागत के अतिरिक्त किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार में उपबन्धित किया गया हो;

(च) पट्टाकर्ता व पट्टेदार, पारस्परिक करारकृत निबन्धनों पर किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा किसी भी समय में पर्यवसानकृत कर सकते हैं;

(7) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे से उत्पन्न होने वाले विवाद–

(क) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार या उसके किन्हीं निबन्धनों और शर्तों से उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में, पट्टाकर्ता व पट्टेदार स्वयं के मध्य या यदि पारस्परिक करार होता है तो किसी तृतीय पक्ष के मध्यस्थ या ग्राम पंचायत या ग्राम राजस्व समिति द्वारा मध्यस्थता का प्रयोग करते हुए विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान व निस्तारण करने के सभी प्रयास करेंगे;

(ख) यदि खण्ड (क) में उल्लिखित तौर–तरीके के माध्यम से विवाद का निस्तारण नहीं हो पाता है तो, दोनों में से कोई पक्षकार उपजिलाधिकारी के समक्ष याचिका दायर कर सकेगा;

(ग) उपजिलाधिकारी वाद संस्थित किये जाने के तीस दिनों की अवधि के भीतर संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए विवाद का न्यायनिर्णयन करेगा;

(घ) किसी उपजिलाधिकारी द्वारा पारित किसी अन्तरिम आदेश से भिन्न किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील, आयुक्त के समक्ष दायर की जायेगी। आयुक्त का विनिश्चय धारा 210 के उपबन्धों के अध्यधीन, अंतिम होगा।"

धारा 96 और 97 का निकाला जाना

13–मूल अधिनियम की धारा 96 और 97 निकाल दी जायेगी।

धारा 103 का निकाला जाना

14–मूल अधिनियम की धारा 103 निकाल दी जायेगी।

धारा 104 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की धारा 104 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(104) इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमिधर या किसी असामी द्वारा किसी जोत अथवा उसके आंशिक भाग का प्रत्येक पट्टा अथवा हित संक्रमण शून्य होगा।"

धारा 105 का संशोधन

16–मूल अधिनियम की धारा 105 में उपधारा (1) में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ङ) इस धारा के उपबन्ध, धारा 94 के अधीन किये गये किसी पट्टे पर लागू नहीं होंगे।"

धारा 108 का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 108 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन पुरूष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निम्नलिखित नातेदार उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्–

(क) विधवा, अविवाहित पुत्री और पुत्र–पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसार:

परन्तु यह कि किसी पूर्वमृत पुत्र के पुत्र और अविवाहित पुत्री और विधवा, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता, न्यागत होता;

(ख) माता और पिता ;

(ग) विवाहित पुत्री ;

(घ) भाई और अविवाहित बहिन जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री हों:

और पूर्व मृत भाई का पुत्र और अविवाहित पुत्री, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो;

(ङ) पुत्र की पुत्री;

(च) पिता की माता और पिता के पिता;

(छ) पुत्री का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ज) विवाहित बहिन;

(झ) सौतेली बहिन, जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ञ) बहिन का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ट) सौतेली बहिन का पुत्र और अविवाहित पुत्री, जहाँ बहिन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ठ) भाई के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ड) पिता के पिता का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ढ़)पिता के पिता के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ण) माता की माता का पुत्र और अविवाहित पुत्री।"

धारा 110 का संशोधन

18–मूल अधिनियम की धारा 110 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"110–जहां इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी स्त्री भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाय, वहां किसी जोत या उसके आंशिक भाग में उसका हित, धारा 107 से 109 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यागत हो जाएगा:–

(क) पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री, पुत्र के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में;

परन्तु प्रथमतः यह कि उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगा;

परन्तु द्वितीयतः यह कि कोई विधवा, जिसने विवाह कर लिया है, अपवर्जित हो जायेगी;

(ख) पति;

(ग) विवाहित पुत्री;

(घ) पुत्री का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ङ) पिता;

(च) विधवा माता;

(छ) भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो, और भाई का पुत्र और अविवाहित पुत्री प्रतिशाखा अनुसार;

(ज) अविवाहित बहिन;

(झ) विवाहित बहिन;

(ञ) बहिन का पुत्र और अविवाहित पुत्री।"

धारा 210 का संशोधन

19–मूल अधिनियम की धारा 210 में, उपधारा (1) में शब्द "कोई अपील नहीं हुयी" के स्थान पर शब्द "कोई अपील नहीं हो सकती है" रख दिये जायेंगे।

तृतीय अनुसूची का संशोधन

20–मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में, धारा–131 की उपधारा (4) और धारा–133 के सापेक्ष प्रविष्टियों में शब्द "तहसीलदार" के स्थान पर शब्द "उपजिलाधिकारी" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2019

निरसन और व्यावृत्ति

21(1)–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2)–ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में भू–खातेदारों और भू–राजस्व से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 अधिनियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिकीकरण और कृषि विकास के लिए भूमि की उपलब्धता सुगम बनाने के उद्देश्य से किसी भूमिधर या किसी असामी को किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति या कृषि हेतु या कोई सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु किसी अन्य विधिमान्य इकाई को अपनी जोत या उसके आंशिक भाग को पट्टे पर देने और संपूर्ण राज्य में भूमिधारकों के उत्तराधिकार से संबंधित विषयों में परिवर्तन करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया था।

पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में पुरःस्थापित किया गया था और उसके द्वारा पारित किया गया था। उक्त विधेयक, महामहिम राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल महोदय द्वारा आरक्षित कर लिया गया था और उस पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार ने उक्त विधेयक में कतिपय संशोधन करने का सुझाव दिया था। भारत सरकार के सुझाव पर विचार करने के पश्चात यह विनिश्चय किया गया कि उक्त विधेयक को वापस ले लिया जाय और उसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 राज्य विधान मण्डल में पुरःस्थापित किया जायेगा।

चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी। अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2019) प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1469(2)/LXXIX-V-1–19-1(Ka)4-19
Dated Lucknow, August 5, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajaswa Samhita (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 2019. The Rajaswa Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2019

(U.P. Act No. 7 of 2019)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 for facilitating the availability of land for industrialization and agricultural development in the state of Uttar Pradesh and for changes in subjects related to inheritance of land holders.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 10, 2019.

Amendment of section 24 of U.P. Act no. 8 of 2012

2. In section 24 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (4), for the words "the order of the Commissioner shall be final," the words "The order of the Commissioner shall, subject to the provisions of section 210, be final" shall be *substituted*.

Amendment of section 38

3. In section 38 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "The decision of the Commissioner shall be final," the words "The decision of the Commissioner shall, subject to the provisions of section 210, be final" shall be *substituted.*

Amendment of section 66

4. In section 66 of the principal Act, in sub-section (3) for the words "Every order of the Collector made under this section shall be final", the words "Every order of the Collector made under this section shall, subject to the provisions of section 210, be final" shall be *substituted.*

Amendment of section 69

5. In section 69 of the principal Act, in sub-section (3) for clause (c) the following clause shall be *substituted,* namely :-

"(c) The payment of expenses incurred on protection, preservation and development of lands of common utility; and"

Amendment of section 72

6. In section 72 of the principal Act, in sub-section (1) for clause (c) the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(c) one or more Divisional Government Counsel (Revenue) for the divisional head-quarters who shall also look after the work related to Circuit Courts of the Board, (wherever Circuit Courts exist at Division level) and"

Amendment of section 77

7. In section 77 of the principal Act, in sub-section (2) for the words "in the same Gram Panchayat" the words "in the same or any nearby Gram Panchayat" shall be *substituted.*

Amendment of section 80

8. For section 80 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :-

"80 (1) Where a bhumidhar with transferable rights uses his holding or part thereof, for industrial, commercial or residential purposes, the Sub-Divisional Officer may, suomotu or on an application moved by such bhumidhar, after making such enquiry as may be prescribed, either make a declaration that the land is being used for the purpose not connected with agriculture or reject the application. The Sub-Divisional officer shall take a decision on the application within forty five working days from the date of receipt of the application. In case the application is rejected, the Sub-Divisional officer shall state the reasons in writing for such rejection and inform the applicant of his decision.

(2) Where a bhumidhar with transferable rights proposes to use in future his holding or part thereof, for industrial, commercial or residential purposes, the Sub-Divisional Officer may on an application moved by such bhumidhar, after making such enquiry as may be prescribed, either make a declaration that the land may be used for the purpose not connected with agriculture or reject the application, within forty five working days from the date of receipt of the application. In case the application is rejected, the Sub-Divisional officer shall state the reasons in writing of such rejection and inform the applicant of his decision:

Provided that for declaration under this sub-section there must exist a boundary wall surrounding the holding or part thereof, which is proposed to be used for such purpose:

Provided further that if the bhumidhar fails to start the proposed non agricultural activity within a period of five years from the date of declaration under this sub-section, then the declaration under sub-section (2) for the holding or part thereof shall lapse:

Provided also that a declaration under this sub-section (2) shall not amount to change of land use and the land shall continue to be treated as agricultural land only. However, the bhumidhar shall be entitled to obtain loan and other necessary permissions, clearances etc. for the activity or project, proposed on the holding or part thereof, for which declaration under this sub-section has been obtained.

(3) A bhumidhar possessing declaration under sub-section (2) for his holding or part thereof, may apply to Sub-Divisional officer for converting declaration under sub-section (2) to a declaration under sub-section (1), after completion of construction activity or start of the proposed non- agricultural activity, within a period of five years from declaration under sub-section (2). On receipt of such an application, the Sub-Divisional officer, after making such enquiry as necessary, shall approve or reject the application within a period of 15 days from the receipt of the application. In case of rejection, he shall record in writing the reasons for such rejection:

Provided that for conversion of declaration under sub-section (2) to a declaration under sub-section (1), the bhumidhar shall be liable to pay only the balance amount of fee payable, calculated at prevailing circle rate, after adjusting the amount already paid by him for declaration under sub-section (2) earlier.

(4) No application for a declaration under sub-section (1) or (2), moved by any co-bhumidhar having undivided interest in bhumidhari land shall be maintainable, unless application is moved by all the co-bhumidhars of such bhumidhari land. In case only one of the co-bhumidhar wants to get a declaration for his share in the land with joint interest, then such an application shall be entertained only after the respective shares of the co-bhumidhars in the land have been divided in accordance with the provisions of law.

(5)The application for declaration [under sub-section (1) or sub-section (2)] shall contain such particulars and shall be made in such manner as may be prescribed.

(6)Where the application under sub-section (1) or sub-section (2) is made in respect of a part of the holding, the sub-divisional officer may, in the manner prescribed, demarcate such part for purposes of such declaration.

(7) No declaration under this section shall be made by the sub-divisional officer, if he is satisfied that the land or part thereof is being used or is proposed to be used for a purpose which is likely to cause a public nuisance or to affect adversely public order, public health, safety or convenience or which is against the uses proposed in the master plan.

(8) In case the land or part thereof for which a declaration under this section is being sought falls within the area notified under any Urban or Industrial Development Authority, then prior permission of the concerned Development Authority shall be mandatory.

(9) The State Government may fix the scale of fees for declaration under this section and different fees may be fixed for different purposes:

Provided that if the applicant uses the holding or part thereof, for his own residential purpose, no fee shall be charged for the declaration under this section."

Amendment of section 81

9. In section 81 of the principal Act, for the words and figures "section 80" the words and figures "sub-section (1) of section 80" shall be *substituted.*

Amendment of section 89

10. In section 89 of the principal Act, for sub-section (3) the following sub-sections shall be *substituted*, namely:-

"(3) The State Government or an officer authorized for this purpose under this Act may approve an acquisition or purchase done or proposed to be done, in excess of the limits specified in sub-section (2), if such acquisition or purchase is in favour of a registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any educational or a charitable institution; and if it is of opinion that the acquisition or purchase would be in public interest and likely to generate economic activities (other than agricultural) and provide employment. In such case, the provisions of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holding Act, 1960 shall not apply to such acquisition:

Provided that where the land has been acquired or purchased by a registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any educational or a charitable institution, without obtaining prior approval under this sub-section the State Government or an officer authorized for this purpose under this Act, may give its approval for regularizing such acquisition or purchase afterwards on payment of an amount as fine, which shall be five percent of the cost of the land in excess of the limit prescribed under sub-section (2), calculated as per the circle rate prevailing at the time of making the application.

(4) Permission under sub-section (3) for acquisition or purchase of land by a registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any educational or a charitable institution in excess of limits prescribed under sub-section (2) shall be granted, on the conditions and in the manner prescribed, by :-

(i) the Collector concerned for acquisition or purchase of land upto 20.2344 hectares;

(ii) the Commissioner concerned for acquisition or purchase of land more than 20.2344 hectares and upto 40.4688 hectares;

(iii) the State Government for acquisition or purchase of land more than 40.4688 hectares.

Provided that if the applicant fails to set up the project within a period of five years from the date of grant of permission under sub-section (3), the same shall lapse and the land acquired or purchased in excess of the limit prescribed under sub-section (2) shall vest in the State and the consequences of section 105 shall become applicable:

Provided further that the State Government may extend the period of permission granted under sub section (3) for a further period of maximum three years, after recording reasons for the same."

Amendment of section 94

11. For section 94 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Lease by a Bhumidhar

"94 (1) A Bhumidhar may lease out his holding or any part thereof to any person, firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any other legal entity for agriculture or for setting up a solar energy plant. Such lease shall be known as the private lease by a bhumidhar.

(2) Private lease by a Bhumidhar means a contract based on an agreement, with mutually agreed terms and conditions, between Lessor, who may be a Bhumidhar and the Lessee who wishes to undertake agricultural activities or set up a solar energy plant, by which the Lessor grants permission to the Lessee to use the land or holding or any part thereof for agricultural purposes or for establishment of solar energy plant, against a consideration in cash or kind or a share of produce, payable to the Lessor as per the lease agreement.

(3) Period of private lease by a bhumidhar – maximum period of the private lease by a Bhumidhar shall not exceed fifteen years at a time:

Provided that, after the expiration of the first lease period, the duration of lease period may be further extended by mutual consent of the Lessor and the Lessee:

Provided further that for purpose of establishing a solar energy plant, the maximum period may be upto thirty years.

(4) Conditions of the private Lease by a bhumidhar- The terms and conditions of the private lease by a bhumidhar shall be as mutually agreed between the Lessor and Lessee. The general conditions of the lease shall be in the manner as may be prescribed."

Amendment of section 95

12. For section 95 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

"95 Private lease by a bhumidhar may be oral or in writing or Registered

Lease- how made, its termination and any dispute arising thereto

(1) Private Lease by a bhumidhar for a single crop or for period upto one year may be either oral or in writing. Lease agreement for period exceeding one year shall be made by a registered instrument only.

(2) Private Lease by a bhumidhar to be recorded in remarks column of Record of Rights - In case of written or registered lease agreement, a copy of the agreement or deed shall be made available to Revenue Inspector concerned, who shall pass order for recording the details of the private lease by a bhumidhar lease agreement (names and other details of Lessor and Lessee; date of agreement; period of lease; proposed use of land; and annual lease rent) in the Remarks column of Record of Rights (khatauni).

(3) Private Lease by a bhumidhar shall not create any type of Tenancy Right- An agreement of private lease by a Bhumidhar either registered under the Registration Act 1908 or countersigned by a Revenue Officer or Gram Pradhan or notarized by a Notary or oral, shall not create or confer any rights or interest in favour of the Lessee over the leased land, including protected tenancy or occupancy right or any other right against eviction or lease termination, other than those contained in this Act or Rules, the lease agreement shall not be used by the Lessee to establish and permanent right over the leased land in any Court of Law.

(4) Resumption of Land- After expiration of the private lease by a bhumidhar period of or termination of such private lease, the instrument of private lease by a bhumidhar shall be a nullify and if the period of such private lease is not extended, the leased land shall automatically revert to the Lessor and the Lessee shall hand over peaceful possession of the land, free from all encumbrances, to the Lessor and shall cease to have any right, title or interest in the land so leased out.

Explanation- Regardless of any dispute, arising out of private lease made under Section-94, pending before any Court of Law, the Lessor shall be entitled to get peaceful possession of the leased land after the expiration of the private lease period and the Lessee shall have no right to retain possession over the leased land.

(5) Effect of Private Lease by a bhumidhar - The provisions contained in the Code regarding private lease by a bhumidhar shall not have retrospective effect.

(6) Termination of the private lease by a bhumidhar -

(a) Unless extended by mutual consent between the Lessor and Lessee, the private lease agreement would terminate on expiry of the private lease period mentioned in the agreement,

(b) In case of non-payment of consideration amount or annual lease rent by the Lessee by the due date, or if any of the terms and conditions of the private lease are violated by him, the private lease by a bhumidhar agreement may be terminated by the Lessor, prior to expiry of the lease period, after giving due notice to the Lessee in writing.

(c) In case the private lease agreement is proposed to be terminated prematurely by the Lessor, then the Lessee shall be entitled to remove such structures, machinery etc. that were created or installed by the Lessee on the leased land. The Lessee would also be entitled to recover such damages and compensation from the Lessor, as agreed upon and laid down in the private lease agreement.

(d) In case the Lessee wishes to terminate the lease agreement prematurely or surrenders the land during the private lease by a bhumidhar period, then he shall have to give at least six months' notice to the Lessor and shall also be liable to pay the annual rent for the remaining part of the year to the Lessor, in addition to such other compensation, as agreed upon and laid down in the private lease by a bhumidhar agreement or as prescribed.

(e) In case after expiration of the private lease by a bhumidhar period or termination of the lease agreement, the Lessee fails to handover peaceful possession of the leased land to the Lessor, the Lessee shall be treated as unauthorised occupant and shall be liable to be ejected from the leased land. The Lessee shall also be liable to pay such penal rent or damages to the Lessor for the period of unauthorised occupation, as provided in the private lease by a bhumidhar agreement, in addition to the cost of such ejection.

(f) The Lessor and Lessee may terminate the private lease by a bhumidhar on mutually agreed terms at any time.

(7) Disputes arising out of the private lease by a bhumidhar-

(a) In an event of a dispute arising out of the private lease agreement by a bhumidhar, or any terms and conditions thereof, the Lessee and the Lessor shall make all efforts to amicably resolve and settle the dispute amongst themselves or if mutually agreed, by using mediation by a third party arbitrator or Gram Panchayat or Village Revenue Committee.

(b) If the dispute is not settled through the mechanism mentioned in clause (a) either party may file a petition before the Sub-Divisional Officer.

(c) The Sub-Divisional Officer shall adjudicate the dispute using the summary procedure within a period of thirty days of its institution.

(d) An appeal against the order, other than an interim order, passed by a Sub-Divisional Officer, shall lie before the Commissioner. The decision of Commissioner shall subject to the provision of section 210, be final."

Omission of sections 96 and 97

13. Sections 96 and 97 of the principal Act shall be *omitted.*

Omission of section 103

14. Section 103 of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 104

15. For section 104 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely:-

"104 Every Lease or transfer of interest in any holding or part thereof made by a bhumidhar or any asami in contravention of the provisions of this Code shall be void."

Amendment of section 105

16. In section 105 of the principal Act, in sub-section (1) after clause (d) the following clause shall be *inserted,* namely :-

"(e) the provisions of this section shall not apply to any lease made under section 94."

Amendment of section 108

17. In section 108 of the principal Act, for sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(2) The following relatives of the male bhumidhar, asami or government lessee are heirs, subject to the provisions of sub section (1), namely-

(a) widow, unmarried daughter and the male lineal descendants in the male line of descent as per stirpes :

Provided that the widow and the son and unmarried daughter of a predeceased son how low-so-ever shall inherit per stirpes the share which would have devolved upon the predeceased son had he been alive;

(b) mother and father;

(c) married daughter;

(d) brother and unmarried sister being respectively the son and the daughter of the same father as the deceased, and son and unmarried daughter of a predeceased brother, the predeceased brother having been the son of the same father as the deceased;

(e) son's daughter;

(f) father's mother and father's father;

(g) daughter's son and unmarried daughter;

(h) married sister;

(i) half sister, being the daughter of the same father as the deceased;

(j) sister's son and unmarried daughter;

(k) half sister's son, and unmarried daughter, the sister having been the daughter of the same father as the deceased;

(l) brother's son's son and unmarried daughter;

(m) father's father's son and unmarried daughter;

(n) father's father's son's son and unmarried daughter;

(o) mother's mother's son and unmarried daughter."

Amendment of section 110

18. In section 110 of the principal Act, the following section shall be *substituted* namely:-

"110 Where any female bhumidhar, asami or a government lessee dies, after the commencement of this Code, then her interest in any holding or its part shall subject to the provisions of Sections 107 to 109 devolve, in accordance with the order of succession given below—

(a) son, unmarried daughter, son's son and unmarried daughter, son's son's son and unmarried daughter, predeceased son's widow, and predeceased son's predeceased son's widow, in equal shares as per stirpes:

Provided firstly that the nearer shall exclude the remoter in the same branch :

Provided secondly that a widow who has remarried, shall be excluded;

(b) husband;

(c) married daughter;

(d) daughter's son and unmarried daughter;

(e) father;

(f) widowed mother;

(g) brother, being the son of the same father as the diseased and brother's son and unmarried daughter as per stirpes;

(h) unmarried sister;

(i) married sister;

(j) sister's son and unmarried daughter."

Amendment of section 210

19. In section 210 of the principal Act, in the Hindi version, in sub-section (1) for the words "कोई अपील नहीं हुयी" the words "कोई अपील नहीं हो सकती" shall be *substituted*.

Amendment of the third schedule

20. In the third Schedule to the principal Act, in the entries against sub-section (4) of section 131 and 133 for the word "Tehsildar" the words "Sub-divisional officer" shall be *substituted*.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no.2 of 2019

21. (1)The Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2019 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 has been enacted to consolidate, and amend the law relating to land tenures and land revenue in the State of Uttar Pradesh. It was decided to amend the said Act with a view to facilitating the availability of land for industrialization and agricultural development in the State of Uttar Pradesh, to authorize a bhumidhar or an asami to lease out his/her holding or any part thereof to any person, firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any other legal entity for agriculture or for setting up a solar energy plant and for making changes in the subjects related to inheritance of land holders in the whole of the state.

In order to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Bill, 2018 was introduced in, and passed by, the Uttar Pradesh State Legislature. The said Bill was reserved by the Governor for the consideration of the President and sent to the Government of India for obtaining the assent of the President thereon. The Government of India had suggested certain amendments in the Bill. After considering the suggestion of the Government of India it was decided that the said Bill should be withdrawn and in place thereof the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Bill, 2019 by incorporating the amendments suggested by the Government of India shall be introduced in the State Legislature.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2019 (U.P. Ordinance no.2 of 2019) was promulgated by the Governor on March 10, 2019.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 186 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(555)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 63 सा0 विधायी–2019–(556)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

संलग्नक - 2

क्रम-संख्या–134

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सैशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1551/79-वि-1–20-1(क)-36-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे राजस्व अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 संक्षिप्त नाम कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

(10) किसी भू–खातेदार के सम्बन्ध में 'परिवार' का तात्पर्य यथास्थिति स्वयं पुरूश या स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति या थर्ड जेण्डर पत्नी या पति (न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति या थर्ड जेण्डर पति या पत्नी से भिन्न), विवाहित पुत्रियों और थर्ड जेण्डर अवयस्क संतानो से भिन्न अवयस्क पुत्रों तथा अवयस्क पुत्रियों से है।

स्पष्टीकरण–थर्ड जेण्डर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो पुरूष अथवा स्त्री लिंग से भिन्न लिंग का हो।

धारा 59 का संशोधन

3– मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) में–

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

(क) (एक). उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है;

(दो). किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गयी या अंतरित की गई किसी ऐसी भूमि, जो धारा–77 की उपधारा (1) के अधीन आच्छादित नहीं है, को धारा–77 की उपधारा (1) के अधीन आच्छादित भूमि में परिवर्तित कर सकती है।

(2) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

(ग) (एक). किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को इस प्रकार सौंपी गयी या सौंपी हुयी समझी गई या अन्तरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि विहित किया जाय, पर वापस ले सकती है।

(दो) खण्ड (एक) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है;

धारा 60 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

(ख) वनों, वृक्षों और चारागाहों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास।

धारा 77 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 77 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

(2) इस संहिता के अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, जहां, इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग, लोक प्रयोजन के लिए क्रय, अर्जित, या पुनर्ग्रहीत किये गये भू–खण्ड या भू–खण्डों से घिरा है अथवा उसके या उनके मध्य में है, अथवा किनारे है एवं लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है, वहां राज्य सरकार, ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी, और यदि ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो पूर्वोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उससे अधिक कोई अन्य भूमि, उसी प्रयोजन के लिए यथास्थिति उसी अथवा किसी निकटवर्ती ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय प्राधिकरण, में आरक्षित कर दी जायेगी या राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अधीन, उसके विनिमय की अनुज्ञा, विहित रीति से दे सकेगी :

परन्तु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी आपवादिक प्रकरणों में ही ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी, जैसा कि विहित की जाय। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन किये जाने के कारण को लिखित रुप में अभिलिखित किया जायेगा।

धारा 80 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु यह कि यदि घोषणा करने के आवेदन के साथ विहित शुल्क संलग्न हो तथा संयुक्त जोत होने के मामलें में सह भू–धृति धारकों की अनापत्ति सह भू–धृति धारक होने की स्थिति में संलग्न हो और यदि उपजिलाधिकारी द्वारा यथा पूर्वोक्त पैंतालिस दिन के भीतर घोषणा नही की जाती है तो घोषणा की गयी समझी जायेगी और तहसीलदार "उपजिलाधिकारी के आदेश अध्यधीन" टिप्पणी सहित राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित करेगा।

यदि कोई प्रभावित पक्षकार उक्त घोषणा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति दाखिल करना चाहे, तो वह सक्षम न्यायालय में आपत्ति दाखिल कर सकता है।

धारा 89 का संशोधन

7–(एक) मूल अधिनियम की धारा 89 में उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्पष्टीकरण–इस उपधारा में पद "किसी व्यक्ति" का तात्पर्य प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति से है।

(दो) उपधारा (3) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु यह कि जहां भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या किसी पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा या निरसन के पूर्व यथा अधिनियमित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा क्रय की गई हो, वहां राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत की पच्चास प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता है।

धारा 101 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 101 में खण्ड (ख) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु यह कि विनिमय की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है, भले ही विनिमय हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का मूल्यांकन सार्वजनिक मूल्य से दस प्रतिशत से अधिक हो।

खण्ड (ग) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:–

परन्तु यह कि विनिमय की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है, भले ही विनिमय हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का क्षेत्र, सार्वजनिक भूमि के क्षेत्र से पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो।

धारा 108 का संशोधन

9 (1) मूल अधिनियम की धारा 108 में, उपधारा (1) में शब्द "किसी" के पश्चात् शब्द "थर्ड जेण्डर" बढ़ा दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन पुरूष थर्ड जेण्डर भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निम्नलिखित नातेदार उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्–

(क) विधवा, थर्ड जेण्डर पति या पत्नी, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेण्डर संतान और पुत्र–पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसार:

परन्तु यह कि विधवा, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेण्डर संतान, और पुत्र, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हों, को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्वमृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, न्यागत होता;

(ख) माता और पिता ;

(ग) विवाहित पुत्री ;

(घ) भाई, अविवाहित बहिन, थर्ड जेण्डर सहोदर भाई या बहिन जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री थर्ड जेण्डर संतान हों और पूर्व मृत भाई का पुत्र, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेण्डर संतान जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो;

(ङ) पुत्र की पुत्री और थर्ड जेण्डर संतान;

(च) पिता की माता और पिता के पिता;

(छ) पुत्री का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ज) विवाहित बहिन;

(झ) सौतेली बहिन जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ञ) बहिन का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ट) सौतेली बहिन का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री, जहाँ बहिन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ठ) भाई के पुत्र का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ड) पिता के पिता का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ढ) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ण) माता की माता का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री।

धारा 109 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 109 में शब्द 'पुरूष' जहाँ कही आया हो के पश्चात शब्द "थर्ड जेण्डर" बढ़ा दिया जायेगा।

धारा 110 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा–110 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:–

110–जहां इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी स्त्री भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाय, वहां किसी जोत या उसके आंशिक भाग में उसका हित, धारा 107 से 109 के उपबन्धों के अध्यधीन, नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यागत हो जाएगा:–

(क) पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान, अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान, और अविवाहित पुत्री, पुत्र के पुत्र का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान, और अविवाहित पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में;

परन्तु यह कि प्रथमतः उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगा :

परन्तु द्वितीयतः यह कि कोई विधवा, जिसने पुनर्विवाह कर लिया है, अपवर्जित हो जायेगी ;

(ख) पति या विवाहित थर्ड जेण्डर पति या पत्नी ;

(ग) विवाहित पुत्री;

(घ) पुत्री का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ङ) पिता;

(च) विधवा माता;

(छ) भाई, जो उसी मृत पिता का पुत्र हो या थर्ड जेण्डर संतान सहोदर भाई या बहिन हो, जो उसी मृत पिता की संतान हो, और भाई का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री प्रतिशाखा अनुसार;

(ज) अविवाहित बहिन;

(झ) विवाहित बहिन;

(ञ) बहिन का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री।

धारा 126 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 126 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु यह कि विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा ।

धारा 128 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1–क) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् किये गये भूमि के आवंटन या कृत पट्टा के मामले में ऐसे पट्टा आवंटन के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में भू–धृतियों और भू–राजस्व से संबंधित विधि को समेकित करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 अधिनियमित किया गया है। राज्य के औद्योगीकरण और सरकारी योजनाओं के उत्तम क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ भूमि की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने, निजी उद्योगों के लिए भूमि आदि की विनिमय की प्रक्रिया को सरल बनाने, लोक उपयोगिता हेतु भूमि सुरक्षित किये जाने, विहित सीमा से अधिक भूमि विनिमितीकरण प्रक्रिया को स्पष्ट किये जाने, भू–उपयोग में कृषि भू–उपयोग से गैर कृषि भू–उपयोग के रूप में परिवर्तन किये जाने, भू–स्वामित्व के उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकारों हेतु पात्र थर्ड जेण्डर को सम्मिलित किये जाने तथा राजस्व मामलों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियागत समस्याओं का समाधान किये जाने के लिए उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधन किये जाने आवश्यक थे। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1551(2)/LXXIX-V-1–20-1(ka)-36-20

Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajaswa Samhita (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Rajaswa Anubhag-1, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 28 OF 2020)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy first Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Act, 2020.

Amendment of Section 4 of the U.P. Act no 8 of 2012

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 hereinafter referred to as the principal Act, for sub-section (10) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

(10)- family, in relation to a tenure-holder, means himself or herself and his wife or her husband or third gender spouse, as the case may be, (other than a judicially separated wife or husband or third gender spouse), minor sons and minor daughters other than married daughters and third gender minor issue.

Explanation- Third Gender means such a person who is of a gender different from the male or female gender.

Amendment of section 59

3. In sub-section (4) of section 59 of the principal Act-

(1) for clause (a) the following clause shall be *substituted*, namely:-

(a) (i) add to, amend, vary or rescind any earlier order issued under sub-section (1);

(ii) convert any land entrusted or deemed to be entrusted or transferred to any Gram Panchayat or local authority, which is not covered under sub-section (1) of section 77 to a land covered under sub-section (1) of section 77.

(2). for clause (c) the following clause shall be *substituted*, namely:-

(c) (i). resume any land or other thing so entrusted or deemed to be entrusted or transferred to any Gram Panchayat or local authority on such terms and conditions as prescribed.

(ii) add to, amend, vary or rescind any earlier order issued under clause (i);

Amendment of section 60

4. In sub-section (2) of section 60 of the principal Act, for clause (b) the following clause shall be *substituted*, namely:-

(b) the preservation, maintenance and development of forests, trees and pastures.

Amendment of section 77

5. In section 77 of the principal Act, for sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted* namely:-

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in other provisions of this Code, where any land or part thereof specified in sub-section(1) of this section is, surrounded by or, in between, or on the edges and necessary for public purpose, the plot

or plots of land purchased, acquired or resumed for public purpose, the State Government may change the class of such public utility land, and if class of such public utility land is changed, any other land equivalent to or more than that of the aforesaid public utility land, shall be reserved for the same purpose in the same or any nearby Gram Panchayat or local authority, as the case may be or the State Government may permit the exchange thereof under section 101 of this Code in the manner prescribed.

Provided that the class of any public utility land may be changed only in exceptional cases on such terms and conditions, as may be prescribed. The reason for changing the class of public utility land shall be recorded in writing.

Amendment of section 80

6. In sub-section (1) of section 80 of the principal Act, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

Provided that if the application for declaration is accompanied with the prescribed fee and in case of joint holding, no objection of co-tenure holders is attached in case of co-tenure holder and if the declaration is not made by the Sub-Divisional Officer with forty-five days as aforesaid, then the declaration shall be deemed to have been made. Tehsildar will make a record of it in the revenue records, with the comment "subject to the order of the Sub-Divisional Officer".

If any affected party wants to file an objection in relation to the said declaration, it may file an objection in the competent court.

Amendment of section 89

7. In section 89 of the principal Act-

(i) after sub-section (2) the following explanation shall be *inserted*, namely:-

Explanation- the expression 'person' in this sub-section means natural or legal person.

(ii) In sub-section (3), *for* the proviso the following proviso shall be *substituted*, namely:-

Provided that where the land has been acquired or purchased by a registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any educational or a charitable institution, without obtaining prior approval under this sub-section or sub-section (3) of section 154 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as enacted before the repeal, the State Government or an officer authorized for this purpose under this Act, may give its approval for regularizing such acquisition or purchase, after payment of an amount as fine, which shall be fifty percent of the cost of the land in excess of the limit prescribed under sub-section (2) calculated as per the circle rate prevailing at the time of making the application.

Amendment of section 101

8. In section 101 of the principal Act, in clause (b) the following proviso shall be *inserted*, namely:-

Provided that permission for exchange may be granted even if the valuation of private land offered for exchange is more than ten percent of the value of the public land.

In clause (c) the following proviso shall be *inserted*, namely:-

Provided that permission for exchange may be granted even if the area of private land offered for exchange is more than twenty five percent of the area of the public land.

Amendment of section 108

9.(1) In section 108 of the principal Act, in sub-section (1) after the words "being a male" the words "Third Gender" shall be *inserted*.

(2) *For* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

The following relatives of the male third gender Bhumidhar, asami or government lessee are heirs subject to the provisions of sub section (1), namely-

(a) Widow, or third gender spouse, unmarried daughters, third gender issue and the male lineal descendants in the male line of descent per stirpes:

Provided that widow, unmarried daughters, third gender issue and sons howsoever low shall inherit per stripes the share which would have devalved upon the predeceased son had he been alive.

(b) Mother and father;

(c) Married daughter;

(d) Brother, unmarried sister, third gender sibling being respectively the son and daughter, third gender issue of the same father as the deceased, and son, unmarried daughter, third gender issue of predeceased brother, the predeceased brother, having been the son of the same father as the deceased.

(e) Son's daughter and third gender issue;

(f) Father's mother and father's father;

(g) Daughter's son, third gender issue and unmarried daughter;

(h) Married sister;

(i) Half sister, being the daughter of the same father as the deceased;

(j) Sister's son, third gender issue and unmarried daughter;

(k) Half sister's son, third gender issue and unmarried daughter the sister having been the daughter of the same father as the deceased;

(l) Brother's son's son, third gender issue and unmarried daughter;

(m) Father's father's son, third gender issue and unmarried daughter;

(n) Father's father's son's son, third gender issue and unmarried daughter;

(o) Mother's mother's son, third gender issue and unmarried daughter.

Amendment of section 109

10. In section 109 of the principal Act, *after* the word "male", wherever occuring, the words "third gender" shall be *inserted*.

Amendment of section 110

11. *For* section 110 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

110. Where any female bhumidhar asami or a government lessee dies, after the commencement of this code, then her interest in any holding or its part shall subject to the provisions of section 107 to 109, devolve, in accordance with the order of succession given below-

(a) Son, third gender issue, unmarried daughter, son's son, third gender issue, and unmarried daughter, son's son's son, third gender issue and unmarried daughter, predeceased son's widow, and predeceased son's predeceased son's widow, in equal shares as per stripes:

Provided firstly that the nearer shall exclude the remoter in the same branch:

Provided secondly that a widow who has remarried, shall be excluded.

(b) Husband or married third gender spouse;

(c) Married daughters;

(d) Daughter's son, third gender issue and unmarried daughter;

(e) Father;

(f) Widow mother;

(g) Brother being the son of the same father as the deceased, third gender sibling being the issue of the same father as the deceased and brother's son, third gender issue and unmarried daughter as per stirpes;

(h) Unmarried sister;

(i) Married sister;

(j) Sister's son, third gender issue and unmarried daughter.

Amendment of section 126

12. In section 126 of the principal Act, the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:-

Provided that preference shall be given to widow and physically disabled persons.

Amendment of section 128

13. *For* sub-section (1-A) of section 128 of the principal Act, the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

Under the provisions of sub section (1), an application may be moved in the case of an allotment or lease of land made before or after the commencement of this code, within five years from the date of such allotment of lease.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 has been enacted to consolidate and amend the law relating to land tenures and land revenue in the State of Uttar Pradesh. To ensure smooth availability of land for purposes of industrialization and for the better implementation of government schemes of the State, to simplify the process of exchange of land etc. for private industries, to secure land for public utility, to clarify the process of regularization of land over the prescribed limit, to make land use changes from agricultural use to non-agricultural land use, to include third gender as eligible for the succession rights of land ownership and to solve various procedural problems related to revenue matters certain amendments were required in the said Act. In view of the above, it has been decided to amend the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 187 राजपत्र–2020–(556)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 145 सा0 विधायी–2020–(557)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

संलग्नक-3

क्रम-संख्या–280

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 28 दिसम्बर, 2020

पौष 7, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2164/79–वि–1-20-2(क) 24-2020

लखनऊ, 28 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2020) जिससे राजस्व अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (6) का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 59 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्पष्टीकरण;

इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द "स्थानीय प्राधिकरण" में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन "औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी सम्मिलित होंगे।"

धारा 80 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 80 में, उपधारा (2) का प्रथम परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

धारा 89 की उपधारा (2) का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 89 में, उपधारा (2) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जायेगा।

धारा 89 की उपधारा (3) का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (3) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

परन्तु यह कि जहाँ भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा, या निरसन के पूर्व यथा अधिनियमित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा क्रय की गयी हो, वहाँ राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी किसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत की दस प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता है:

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये किया गया है वहाँ वह ऐसे किसी अंतरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान कर सकती है।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2164(2) /LXXIX-V-1-20-2(ka) 24-2020

Dated Lucknow, December 28, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajasva Samhita (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 22 of 2020) promulgated by the Governor. The Rajasva Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(U. P. Ordinance no. 22 of 2020)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy first Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

to amend the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :–

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2020.

Amendment of section 59 of U.P. Act no. 8 of 2012

2. After sub-section (6) of section 59 of the Uttar Pradesh Revenue code, 2006 hereinafter referred to as the Principal Act, the following Explanation shall be *inserted*, namely :–

Explanation :

For the purpose of this section the word "Local Authority" includes Kshhetra Panchayat, Zila Panchayat, Town Area, Notified Area, Cantonment Area, Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Mahapalika, Nagar Nigam, Noida Vikas Pradhikaran, Greater Noida Vikas Pradhikaran, Yamuna Expressway Vikas Pradhikaran or any Industrial township declared under the Industrial Development Area under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 under the Article 243-Q of the Constitution of India.

Amendment of section 80

3. In section 80 of the principal Act, the first proviso to sub-section (2) shall be *omitted*.

Amendment of sub-section (2) of section 89

4. In section 89 of the principal Act, the Explanation to sub-section (2) shall be *omitted*.

Amendment of sub-section (3) of section 89

5. In sub-section (3) of section 89 of the principal Act for the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely :–

Provided that where the land has been acquired or purchased by a registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any other educational or a charitable institution, without obtaining prior approval under this sub-section or sub-section (3) of section 154 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as enacted before the repeal, the State Government or an officer authorized for this purpose under this Act, may give its approval for regularizing such

acquisition or purchase, after payment of an amount as fine, which shall be ten percent of the cost of the land in excess of the limit prescribed under sub-section (2) calculated as per the circle rate prevailing at the time of making the application :

Provided further that where the State Government is satisfied that any transfer has been made in the public interest under various promotion investment policies or for the projects being encouraged by the State Government, for the establishment of private universities and medical colleges, it may exempt any such transferee from the payment of fine under this sub-section.

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 549 राजपत्र–2020–(1134)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 169 सा0 विधायी–2020–(1135)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

संलग्नक -4

क्रम-संख्या–280 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 29 दिसम्बर, 2020

पौष 8, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–1

संख्या 1560/एक-1–2020-रा0-1

लखनऊ, 29 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0 आ0–468

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 16 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016, जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नियम 16 में उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

(7) राजस्व ग्रामों की सीमाओं का निर्धारण एवं सीमांकन हेतु ग्राम सीमा स्तम्भों का निर्माण और उनकी स्थापना, समय-समय पर जारी परिषद के आदेशों के अनुसार की जायेगी। राजस्व ग्राम सीमा के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगा और इस प्रयोजन हेतु ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि में उपलब्ध निधियों का प्रयोग किया जा सकेगा।

(8) किसी राजस्व ग्राम के विभिन्न गाटों/भूखण्डों के सीमांकन हेतु उनकी मेड़बंदी और गाटा स्तम्भों का निर्माण तथा उनकी स्थापना समय-समय पर जारी परिषद के आदेशों के अनुसार की जाएगी। गाटा स्तम्भों के निर्माण और गाटे की मेड़बंदी पर व्यय का वहन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो संहिता की धारा 24 के अधीन सीमांकन वाद दायर किया हो।

(9) ग्रामों की सीमा पर स्थित सभी ग्राम सीमा स्तम्भों के अनन्य कोड का अवधारण करने और उनके अक्षांश व देशान्तर का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:-

(क) सीमा स्तम्भ दो, तीन अथवा चार ग्रामों की सीमा पर स्थित हो सकता है। सर्वप्रथम आसन्नवर्ती (Adjacent) ग्रामों, जिनकी सीमा पर सीमा स्तम्भ अवस्थित हैं, में से सबसे कम ग्राम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम का कोड (6 अंक) लिखा जायेगा। इसके पश्चात् सीमा स्तम्भ के आसन्नवर्ती दूसरे राजस्व ग्राम का ग्राम कोड (6 अंक) लिखा जायेगा, जिसका कोड प्रथम ग्राम के कोड से अधिक किन्तु तृतीय ग्राम, यदि कोई हो, के कोड से कम हो। इसके पश्चात् उक्त दोनों राजस्व ग्रामों में से न्यूनतम ग्राम कोड संख्या वाले ग्राम के कम अंक वाले गाटा संख्या (5 अंक), जिसकी सीमा पर स्तम्भ स्थित हो, उसका नम्बर लिया जायेगा। सबसे अन्त में सीमा स्तम्भ का क्रमांक (2 अंक) लिखा जायेगा। इस प्रकार उस सीमा स्तम्भ का 19 अंक का अनन्य कोड बन जायेगा।

इसी प्रकार अगले स्तम्भ में अनन्य कोड का अवधारण करने के लिये न्यूनतम ग्राम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम के कोड और अगले गाटा संख्या, जिसमें अगला स्तम्भ स्थित हो, का प्रयोग उसी रीति से किया जायेगा जैसा कि उपरोक्तानुसार उल्लिखित है।

(ख) किसी ग्राम के सभी स्तम्भों में कोड अवधारण को पूरा किये जाने के पश्चात् अन्य ग्रामों में पुनः उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। अगले ग्राम के जिन स्तम्भों की कोडिंग, कम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम के साथ हो चुकी हो, उनको छोड़ते हुए अन्य स्तम्भों को पुनः 01 से संख्या प्रदान करते हुए कोडिंग की जायेगी।

(ग) ऐसे किसी ग्राम, जिसकी सीमा उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा नेपाल देश से मिलती है, के सीमा स्तम्भों की कोडिंग करते समय ऐसी सीमा पर अवस्थित प्रथम ग्राम के रूप में उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित ग्राम का जनगणना कोड लिया जायेगा जबकि सम्बन्धित राज्य के द्वितीय ग्राम कोड के लिये 06 अंक के ग्राम कोड निम्नवत् लिये जायेंगे :-

1-नेपाल	NEPAL0
2-उत्तराखण्ड	UKD000
3-हिमाचल प्रदेश	HIMP00
4-हरियाणा	HR0000
5-दिल्ली	DELHI0
6-राजस्थान	RAJ000
7-मध्यप्रदेश	MP0000
8-छत्तीसगढ़	CHH000
9-झारखण्ड	JHAR00
10-बिहार	BIHAR0

(घ) ग्रामों की सीमाओं पर स्थित सीमा स्तम्भों की कोडिंग के पश्चात् उनके अक्षांश एवं देशान्तर निर्धारित किये जायेंगे, जिससे सीमा स्तम्भों के गायब या नष्ट हो जाने पर उनको उसी स्थान पर पुर्नस्थापित किया जा सके।

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम 22 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) संहिता की धारा 24 (1) के अन्तर्गत सीमा विवादों के निपटारे के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रार्थना-पत्र उप जिलाधिकारी को दिया जायेगा और उसमें निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे :– (क) पक्षकारों का नाम, पिता का नाम व पता; (ख) अवस्थिति के साथ भूखण्ड संख्या, क्षेत्रफल तथा भूमि की सीमाएं; (ग) विवाद का संक्षिप्त विवरण – प्रार्थना-पत्र के साथ नक्शे, खसरा व खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि (जिसके आधार पर सीमांकन किया जाना है) का होना आवश्यक है।	(1) संहिता की धारा 24 (1) के अधीन खातेदार एक या एक से अधिक समीपस्थ गाटों के लिए सीमा विवाद निस्तारण के लिये आवेदन-पत्र दो प्रतियों में उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी :– (क) गाटा का विवरण–गाटा संख्या, खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम/तहसील का नाम। यदि एक से अधिक खातेदार हैं, तो सभी की विशिष्टियां उल्लिखित की जायेंगी; चालू अद्यतन कृत खतौनी भी आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। (ख) समीपस्थ गाटों का विवरण–गाटा संख्या, खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम/तहसील का नाम। यदि एक से अधिक खातेदार हों, तो सभी की विशिष्टियां उल्लिखित की जायेगी। चालू अद्यतन कृत खतौनी भी आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। (2) यदि खतौनी में खाता अलग है, किन्तु भू–चित्र में उप विभाजन नहीं है, तो भू–चित्र में उप विभाजन कराया जाना आवश्यक होगा।
(2) संहिता की धारा 24(1) के अन्तर्गत सीमाओं के निर्धारण का कोई प्रार्थना-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ मानचित्र, खसरा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) जिसके आधार पर सीमांकन की मांग की गयी है को संलग्न नहीं किया गया हो और प्रार्थी की प्रति सर्वे संख्या के लिये रु0 1000/– की दर से आगणित अपेक्षित रकम सीमांकन के शुल्क के रूप में प्रार्थी द्वारा अदा नहीं कर दी गयी हो। (3) यदि प्रार्थना-पत्र दो या दो से अधिक संलग्न भूखण्डों के सीमांकन के लिये है, तो सीमांकन शुल्क का एक सेट देय होगा लेकिन जहां पर सीमांकन की मांग किये जाने वाले सर्वे भूखण्ड संलग्न नहीं है वहां पर अलग–अलग सीमांकन शुल्क देय होगा। (4) प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने पर सम्बन्धित कर्मचारी प्रार्थना-पत्र में यह जांच करेगा कि क्या अपेक्षाओं को पूर्ण किया गया है अथवा नहीं। यदि कोई औपचारिक प्रकृति की कमी है तो प्रार्थी अथवा उसे अधिवक्ता को तुरन्त उस कमी को दूर करने की इजाजत दी जायेगी लेकिन जहां पर प्रार्थना-पत्र की अपेक्षायें पूर्ण नहीं की गयी हैं, वहां पर अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिये मांगा गया अवसर दिया जायेगा।	(3) यदि सीमांकित किये जाने वाले गाटा/गाटों से ग्राम पंचायत/राज्य सरकार की किसी सम्पत्ति की सीमा संलग्न है, तो अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति/ग्राम प्रधान और राज्य सरकार को तत्सम्बन्ध में पक्षकार बनाया जायेगा। (4) समीपस्थ गाटों की सीमा के सीमांकन हेतु आवेदन किये जाने पर बाहरी सीमा का ही सीमांकन किया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(5) जैसे ही अपेक्षायें पूर्ण कर दी जाती हैं, सम्बन्धित कर्मचारी प्रार्थना–पत्र को सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसे समुचित आदेश के लिये उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।	(5) आवेदक को गाटा/सम्बद्ध गाटों के सीमांकन हेतु राजकीय कोषागार में रु0 1000/– की फीस जमा करनी होगी। आवेदन–पत्र के साथ चालान, रसीद की प्रतिलिपि भी संलग्न की जायेगी।
(6) उपजिलाधिकारी उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर आदेश पारित करेगा और राजस्व निरीक्षक अथवा अन्य राजस्व अधिकारी को यह निदेश देगा कि तिथि नियत करने के बाद और सभी सम्बन्धित खातेदारों पर उसके सम्बन्ध में नोटिस तामील करने के बाद भूखण्ड या भूखण्डों, जैसी भी स्थिति हो, का सीमांकन करेगा। यह कार्य उपजिलाधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।	(6) सीमांकन हेतु आवेदन प्राप्त किये जाने पर उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर उप जिलाअधिकारी, राजस्व न्यायालय, कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस0) पर वाद दर्ज करेगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से नोटिस की तीन प्रतियां जारी की जायेंगी और तहसीलदार के माध्यम से राजस्व निरीक्षक को प्रदत्त की जायेगी।
(7) इस नियम के उपनियम (6) के अन्तर्गत नोटिस सम्बन्धित खातेदार पर और उसकी अनुपस्थिति में उसके वयस्क पारिवारिक सदस्य पर तामील की जायेगी। वह नोटिस भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष पर भी तामील की जायेगी।	(7) राजस्व निरीक्षक, लेखपाल या अन्य किसी माध्यम से उपनियम (1) में यथा उल्लिखित सम्बन्धित खातेदार/खातेदारों को नोटिस तामील करेगा। खातेदारों की अनुपस्थिति में नोटिस, खातेदार/खातेदारों के वयस्क पारिवारिक सदस्य को तामील की जायेगी। सीमांकन की सूचना, भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को भी प्रदान की जायेगी।
(8) भूखण्ड का सीमांकन करते समय राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा स्थल ज्ञाप तैयार किया जायेगा और उस पर सभी सम्बन्धित पक्षकारों एवं भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष अथवा सीमांकन के समय उपस्थित किन्हीं दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। यदि कोई पक्ष स्थल शाप पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त आशय का पृष्ठांकन किया जायेगा।	(8) यदि राजस्व निरीक्षक सूचना भेजते समय या स्थलीय सीमांकन से पूर्व किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को तत्सम्बन्ध में पक्षकार बनाना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है।
(9) राजस्व निरीक्षक अथवा अन्य राजस्व अधिकारी सीमांकन के दिनांक से पन्द्रह दिनों की अवधि के अन्दर स्थल शाप सहित अपनी सीमांकन आख्या प्रेषित करेगा। आख्या में प्रत्येक प्रभावित पक्षकार का नाम और पता दिया जायेगा।	(9) राजस्व निरीक्षक अथवा कोई अन्य राजस्व पदाधिकारी सीमांकन हेतु दिनांक नियत करने के पश्चात् और सभी सम्बन्धित खातेदारों को सूचित करने के पश्चात् यथास्थिति भूखण्ड या भूखण्डो, का सीमांकन करेगा। सीमांकन करते समय यदि कोई प्रभावित खातेदार तत्सम्बन्ध में पक्षकार न हो तो ऐसा खातेदार राजस्व निरीक्षक द्वारा तत्सम्बन्ध में स्थलीय पक्षकार बनायेगा तथा वह अपनी सीमांकन आख्या में इसका उल्लेख करेगा। सीमांकन उपजिलाधिकारी द्वारा तत्निमित्त कृत आदेश के दिनांक से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।
(10) उपनियम (9) के अन्तर्गत आख्या प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर आख्या पर आक्षेप आमंत्रित करते हुये सभी प्रभावित पक्षों को नोटिसें जारी की जायेंगी और तिथि नियत की जायेगी जो कि नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के बाद की नहीं होगी।	(10) राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व पदाधिकारी स्थल ज्ञाप सहित सीमांकन आख्या तैयार करेंगे। यदि तत्निमित्त कोई आपत्तियां न हों, तो सीमांकन आख्या पर सभी संबंधित पक्षकारों की सहमति तथा हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात् उसे तहसीलदार के माध्यम से उपजिलाधिकारी को

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	एक सप्ताह में प्रेषित कर दिया जायेगा। राजस्व निरीक्षक की पूर्वोक्त आख्या प्राप्त करने पर उपजिलाधिकारी सीमांकन आख्या की पुष्टि करते हुए आदेश पारित करेगा।
(11) नियत दिनांक पर अथवा उस दिनांक पर जिसके लिये सुनवाई स्थगित की गयी हो, उपजिलाधिकारी संहिता की धारा 24 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद को तय करेगा और आख्या के विरूद्ध दाखिल की गयी आपत्तियों, यदि कोई हों, एवं आख्या पर विचार करने तथा सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा।	(11) यदि सीमांकन से प्रभावित पक्षकारों ने सीमांकन पर अपनी सहमति न दी हो अथवा यदि सीमांकन आख्या में कोई आपत्ति हो, तो उपजिलाधिकारी द्वारा सभी पक्षकारो को सुनवाई का दिनांक नियत करते हुए नोटिस (नोटिसें) जारी की जायेगी/की जायेंगी जो नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के बाद की नहीं होगी।
(12) यदि उपजिलाधिकारी द्वारा आख्या की पुष्टि कर दी जाती है तो एक सप्ताह की अवधि के अन्दर तद्नुसार सीमा स्तम्भ नियत किये जायेंगे और उसके सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की जायेगी जो कि अभिलेख का भाग होगी।	(12) उपजिलाधिकारी समस्त सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् सीमा का सीमांकन करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करेगा। राजस्व निरीक्षक को आदेश किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करना होगा और उपजिलाधिकारी को अपनी आख्या प्रस्तुत करनी होगी।
(13) जहां पर भूखण्ड/सर्वे संख्याओं की सीमायें दरियाबुर्द अथवा दरियाबरार अथवा भारी वर्षा या किन्हीं अन्य कारणों से शिनाख्त योग्य नहीं है अथवा क्षतिग्रस्त हो गयी है वहां पर उपजिलाधिकारी उस ग्राम के ग्राम राजस्व समिति के अध्यक्ष के आवेदन पर अथवा राजस्व निरीक्षक या हलके के लेखपाल की आख्या पर अथवा सभी सम्बन्धित खातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त प्रार्थना–पत्र पर, लिखित रूप से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक अथवा सम्बन्धित लेखपाल को निर्देशित करेगा कि वह वर्तमान सर्वे मानचित्र के आधार पर अथवा जहां पर यह सम्भव न हो, वहां पर कब्जे के आधार पर स्थल पर सीमाओं को चिन्हित करे और यदि कोई शिकायत है तो राजस्व ग्राम समिति के परामर्श से सुलह के आधार पर उसका समाधान करे। राजस्व निरीक्षक या लेखपाल ऐसे आदेश का पालन, आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के अन्दर करेगा और उसकी आख्या उपजिलाधिकारी को प्रेषित करेगा।	(13) जहां पर गाटा/सर्वे संख्या की सीमा, भूमि के जलोढ़ या आप्लाव अथवा भारी वर्षा के कारण या किन्हीं अन्य कारण से हुई क्षति के कारण शिनाख्त योग्य न हो, वहां पर उस ग्राम के ग्राम राजस्व समिति के अध्यक्ष के आवेदन पर अथवा राजस्व निरीक्षक या लेखपाल की आख्या पर अथवा सभी सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त आवेदन पत्र पर, उपजिलाधिकारी लिखित रूप से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक अथवा लेखपाल को अनुदेश देगा कि वह वर्तमान सर्वे मानचित्र के आधार पर अथवा जहाँ पर सम्भव हो, कब्जा के आधार पर स्थल पर सीमा का सीमांकन करे और यदि कोई शिकायत हो तो राजस्व ग्राम समिति के परामर्श से पारस्परिक सहमति के आधार पर उसका समाधान करे। राजस्व निरीक्षक या लेखपाल को आदेश किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करना होगा और अपनी आख्या उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।
(14) यदि कोई पक्षकार इस नियम के उपनियम (13) के अन्तर्गत सीमांकन से क्षुब्ध है तो वह संहिता की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सीमाओं के निर्धारण के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और उपनियम (13) के अन्तर्गत सीमांकन संहिता की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सीमांकन के अधीन होगा।	(14) उपनियम (10), (13) या (14) के अधीन सीमांकन के लिये आदेश पारित करते समय उपजिलाधिकारी सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष को निदेशित कर सकता है कि वह सीमांकन के समय स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराये।

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

(15) उपजिलाधिकारी संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत अथवा इस नियम के उपनियम (13) के अन्तर्गत सीमांकन के लिये आदेश पारित करते समय सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष को निर्देशित कर सकता है कि वह सीमांकन के समय स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराये।

(16) उपजिलाधिकारी धारा 24(3)के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कार्यवाही को समाप्त करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्दर समाप्त नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(15) उपजिलाधिकारी संहिता की धारा 24(3) में यथा उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगा और यदि प्रक्रिया ऐसे समय के भीतर पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

नियम 25 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये नियम 25 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

नक्शा व क्षैत्रिक पंजी (खसरा) धारा 30(1):–

कलेक्टर, प्रत्येक ग्राम के लिए एक क्षैत्रिक पंजी (खसरा) **आर0सी0 प्रपत्र–4** में तैयार तथा अनुरक्षित करायेगा तथा (खसरा संख्या या भू–खण्ड संख्या की सीमाओं को दर्शाने वाला) एक मानचित्र जिसमें धारा 30 के अन्तर्गत हुए संशोधनों का अंकन हो, रखेगा।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) कलेक्टर, प्रत्येक ग्राम के लिए एक क्षैत्रिक पंजी (खसरा) **आर0सी0 प्रपत्र–4** में तैयार तथा अनुरक्षित करायेगा और (खसरा संख्याओं या गाटा संख्याओं की सीमाओं को दर्शाते हुए) एक मानचित्र जिसमें धारा 30 में निर्दिष्ट परिवर्तनों का अंकन हो, रखेगा।

(2) फसली वर्ष 1428 से पूर्व के वर्षों की क्षैत्रिक पंजी (खसरा) का रख-रखाव **आर0सी0 प्रपत्र–4** में किया जायेगा तथा इसको समय–समय पर जारी शासनादेशों व परिषदादेशों के अनुसार अनुरक्षित व संरक्षित किया जायेगा।

(3) जिन क्षेत्रों में यू0पी0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 प्रवृत्त था, उन क्षेत्रों में फसली वर्ष 1428 व उसके बाद के क्षैत्रिक पंजी (खसरा) का रख–रखाव **आर0सी0 प्रपत्र–4क** में कम्प्यूटरीकृत (डिजिटल) स्वरूप में किया जाएगा।

(4) फसली वर्ष की समाप्ति पर खसरा प्रविष्टियों को अपरिवर्तनीय बनाते (फ्रीज करते) हुए क्षैत्रिक पंजी (खसरे) की प्रति, पी0डी0एफ0 अथवा अन्य किसी अपरिवर्तनीय फार्मेट में परिषद स्तर पर राज्य डाटा केन्द्र अथवा शासकीय इलेक्ट्रानिक क्लाउड जैसे मेघराज आदि में शाश्वत रूप से संरक्षित की जाएगी तथा उसकी एक मुद्रित प्रति, अभिलेखार्थ तहसील स्तर पर 12 वर्ष तक के लिए संरक्षित की जायेगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(5) आर0सी0 प्रपत्र–4 में प्रविष्टियां समय–समय पर जारी शासनादेशों व परिषदादेशों के अनुसार कम्प्यूटरीकृत (डिजिटल) रूप में दर्ज की जायेंगी।

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये नियम 27 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम 27 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) कलेक्टर प्रत्येक ग्राम के लिए एक अधिकार अभिलेख (खतौनी) आर0सी0 प्रपत्र 7 में तैयार व अनुरक्षित करायेगा जिसमें होगा–	(1) कलेक्टर प्रत्येक ग्राम के लिए एक अधिकार अभिलेख (खतौनी) आर0सी0 प्रपत्र–7 या आर0सी0 प्रपत्र–7क में तैयार व अनुरक्षित करायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :–
(क) उक्त धारा के उपबन्ध (क) से (घ) में विहित विवरण;	(क) उक्त धारा के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां;
(ख) धारा 83 में संदर्भित घोषणा व निरसन का विवरण;	(ख) धारा 83 में निर्दिष्ट घोषणा व रद्दकरण का विवरण;
(ग) ऐसा अन्य विवरण जैसा कि परिषद द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाये।	(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसा कि परिषद द्वारा समय–समय पर निदेशित की जायं।

6–उक्त नियमावली में, नियम 31 में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा; अर्थात्:– नियम 31 का संशोधन

(6) राजस्व निरीक्षक द्वारा अविवादित वरासत को दर्ज किये जाने हेतु नामांतरण हेतु आवेदन और उसका निस्तारण करने की कार्यवाहियां समय–समय पर परिषद द्वारा जारी निदेशों के अनुसार ऑनलाइन की जायेंगी।

(7) राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किये जाने वाले समस्त आदेशों को राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0एम0एस0) में भी अभिलिखित किया जाएगा। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश को प्रभारी राजस्व निरीक्षक–कार्यालय द्वारा कम्प्यूटरीकृत खतौनी में तभी अभिलिखित किया जा सकेगा जब साफ्टवेयर द्वारा नामांतरण की स्वत जनित आवेदन संख्या एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के दिनांक का उल्लेख आदेश में किया गया हो।

7–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये नियम 99 के उपनियम (8) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 99 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(8) यदि उपनियम (3) के अन्तर्गत प्रेषित की गयी आख्या और आपत्ति, यदि कोई हो, प्राप्त करने के बाद कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि–	(8) यदि उपनियम (5) के अधीन प्रस्तुत की गयी आख्या और आपत्ति, यदि कोई हो, प्राप्त किये जाने के पश्चात् यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि–
(क) धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) की शर्तें पूर्ण हैं; अथवा	(क) धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) की शर्तें पूर्ण हैं; अथवा

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(ख) खातेदार अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक बीमारी से ग्रस्त है, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित बीमारी में विशेषज्ञ किसी फिजीशियन अथवा शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, और ऐसी बीमारी के उपचार के लिये व्ययों को पूरा करने के लिये अन्तरण की अनुज्ञा आवश्यक हैं; अथवा	(ख) खातेदार अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक रोग से ग्रस्त है, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित रोग के विशेषज्ञ किसी चिकित्सक अथवा शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, और ऐसे रोग के उपचार के लिये व्ययों को पूरा करने के लिये अन्तरण की अनुज्ञा आवश्यक हैं; अथवा
(ग) आवेदक प्रस्तावित अन्तरण के प्रतिफल से किसी अन्य भूमि को क्रय करने के लिये ऐसे प्रस्तावित अन्तरण हेतु संहिता की धारा 98(1) के अन्तर्गत अनुज्ञा की माँग कर रहा है और आवेदन में इस सम्बन्ध में दिये गये तथ्य आवेदक के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार की सत्यापित प्रति से समर्थित हैं; अथवा	(ग) आवेदक ऐसे प्रस्तावित अन्तरण के प्रतिफल स्वरूप किसी अन्य भूमि का क्रय करने के लिये प्रस्तावित अन्तरण हेतु संहिता की धारा 98(1) के अधीन अनुज्ञा की माँग कर रहा है और आवेदन में इस सम्बन्ध में दिये गये तथ्य, आवेदक के पक्ष में विक्रय करने हेतु रजिस्ट्रीकृत करार की सत्यापित प्रति पर अवलम्बित हैं; अथवा
(घ) आवेदन के दिनांक पर आवेदक द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल, ऐसे अन्तरण के बाद, 1.26 हेक्टेयर से कम नहीं होगा; और	(घ) आवेदन के दिनांक पर आवेदक द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल, ऐसे अन्तरण के पश्चात्, 1.26 हेक्टेयर से कम नहीं होगा; और
(ङ) यदि, जहां विक्रय द्वारा अन्तरण के लिये अनुज्ञा की मांग की जा रही है, भूमि के अन्तरण के लिये प्रतिफल कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं है; तो वह कारण अभिलिखित करते हुये अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा। **स्पष्टीकरण**–सन्देह के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस उपनियम के खण्ड (घ) में उल्लिखित शर्त पूर्ण नहीं है लेकिन इस उपनियम के खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित कोई शर्त पूर्ण है तो कलेक्टर संहिता की धारा 98(1) के अन्तर्गत अनुज्ञा दे सकता है।	(ङ) यदि, विक्रय द्वारा अन्तरण के लिये अनुज्ञा की मांग की जा रही हो, और भूमि के अन्तरण के लिये प्रतिफल, कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित धनराशि से कम न हो; तो वह कारण अभिलिखित करते हुये अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा। **स्पष्टीकरण**–सन्देह के निवारण के लिये एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस उपनियम के खण्ड (घ) में संख्यांकित शर्त पूर्ण नहीं है किन्तु इस उपनियम के खण्ड (क) से (ग) में संख्यांकित कोई शर्त पूर्ण है तो कलेक्टर संहिता की धारा 98 (1) के अधीन अनुज्ञा दे सकता है।

नियम 101 का संशोधन

8–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये नियम 101 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) ऐसे सभी आवेदनों के साथ विनिमय में प्राप्त व दिये जाने वाले भूखण्डों की प्रमाणित खतौनी व भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ऐसे विनिमय के पक्ष में पारित किये गये प्रस्ताव की प्रति संलग्न की जायेगी।	(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ विनिमय स्वरूप प्रदत्त तथा प्राप्त, भूखण्डों से सम्बन्धित खतौनी की प्रमाणित प्रतियां और भूमि प्रबन्धक समिति के ऐसे विनिमय के पक्ष में संकल्प अथवा कलेक्टर द्वारा अनुमोदित उपजिलाधिकारी के स्वप्रेरणा के संकल्प की प्रति संलग्न की जायेगी।

नियम 188 का संशोधन

9—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में, दिये गये नियम 188 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
जब इस संहिता के अधीन किसी वाद, प्रार्थना—पत्र या कार्यवाही के संबंध में उक्त संहिता या तदन्तर्गत बनी नियमावली या विनियमावली में अभिव्यक्त उपबन्ध बनाया गया है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या परिसीमा अधिनियम, 1963 में किसी बात के होते हुये भी, संहिता, नियमावली एवं विनियमावली के प्रावधान लागू होंगे।	(1) जहाँ संहिता के अधीन किसी वाद, आवेदन या कार्यवाहियों के संबंध में उक्त संहिता या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली में कोई सुस्पष्ट उपबन्ध किया गया हो, वहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या परिसीमा अधिनियम, 1963 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, संहिता, इस नियमावली या विनियमावली के उपबंध लागू होंगे। (2) राजस्व संहिता, 2006 के अधीन समस्त वाद परिषद द्वारा प्रबन्धकृत न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस0) के पोर्टल पर दर्ज किये जायेंगे। समस्त राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा जारी ऐसे स्वजनित बार कोडेड आदेश पत्रकों पर ही आदेश पारित करेंगे जिनमें वाद का पूर्ण विवरण, अर्थात् न्यायालय का नाम, वाद संख्या, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या, पक्षकारों का नाम, धारा और अधिनियम, जिसके अधीन वाद दर्ज हो और प्रत्येक आदेश पत्रक के शीर्ष पर बार कोड अन्तर्विष्ट होगा। संबंधित पीठासीन अधिकारी/पेशकार/अहलमद/सहायक अपने यूजर आई0डी0 और पासवर्ड के माध्यम से राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस0) के पोर्टल पर लॉग—इन करके हाथ से कोई आदेश अभिलिखित करने हेतु रिक्त आदेश पत्रकों को भी मुद्रित करेगा। वाद के विवरणों के साथ कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या को भी आदेश पत्रक के शीर्ष पर बार कोड हेडर पर मुद्रित की जायेगी। (3) राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0 एम0एस) द्वारा जारी स्वजनित बार कोडेड आदेश पत्रक से भिन्न सादे कागज पर किया गया कोई आदेश अविधिमान्य और अस्वीकार्य होगा। (4) परिषद, राजस्व न्यायालयों के डिजिटाइजेशन एवं कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया का अवधारण करते हुए संचालन के लिये सामान्य या विशिष्ट अनुदेश जारी कर सकती है।

प्रपत्र–4 क का बढ़ाया जाना

10–उक्त नियमावली में, प्रपत्र–4 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र–4क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

आर0सी0 प्रपत्र–4क
(नियम 25 क देखें)
खसरा (क्षैत्रिक पंजी)

भाग–01–गाटे का विवरण–(स्तम्भ संख्या 01 से 05)

खसरा/गाटा संख्या	गाटे का यूनिक कोड	क्षेत्रफल (हे0)	खाता खतौनी संख्या	खतौनी के यथा भाग–2 में अंकित खातेदार का नाम
1	2	3	4	5

भाग–02–फसल व सिंचाई के साधन का विवरण–(स्तम्भ संख्या 06 से 20)

खरीफ (2ख)					रवी (2र)					जायद (2जा)				
फसल	आच्छादित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई का साधन	फसल	आच्छादित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई का साधन	फसल	आच्छादित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	सिंचाई का साधन
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

भाग–03–दैवी आपदा व कृषि अवशिष्ट निस्तारण का विवरण–(स्तम्भ संख्या 21 से 26)

फसल	क्या दैवी आपदा में फसल को क्षति हुई है	दैवी आपदा का प्रकार	आपदा से प्रभावित क्षेत्रफल	क्षति का विवरण	कृषि अवशिष्ट निस्तारण (पराली/भूसा जलायी गयी अथवा नहीं)
21	22	23	24	25	26

भाग–04–वृक्षों का विवरण–(स्तम्भ संख्या 27 से 28)

गाटों में वृक्षों की प्रजाति	गाटों में वृक्षों की संख्या
27	28

भाग–05– कृष्योत्तर भूमि का विवरण–(स्तम्भ संख्या 29 से 34)

स्तम्भ 29–क्या राजस्व संहिता, 2006 के अनुच्छेद 143 या 80 की घोषणा, भूधारक के सम्पूर्ण या किसी भाग के लिये स्पष्ट है–हाँ/नहीं

कृष्योत्तर भू उपयोग का प्रकार	कृष्योत्तर उपयोग के अन्तर्गत क्षेत्रफल	कृष्योत्तर घोषित क्षेत्रफल	कृष्योत्तर घोषित करने का वाद/कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या	कृष्योत्तर घोषित करने के आदेश का दिनांक
30	31	32	33	34

भाग–06–पट्टा का विवरण–(स्तम्भ संख्या 35 से 41)

स्तम्भ 35–क्या भूमि अथवा किसी पट्टाकृत भूमि का भाग है–हाँ/नहीं

पट्टे का प्रकार	क्षेत्रफल	पट्टा धारक का नाम	पट्टा धारक का पता	पट्टा प्रारम्भ होने की तिथि	पट्टा समाप्त होने की तिथि
36	37	38	39	40	41

भाग–07–दो फसली क्षेत्रफल और गैर फसली भूमि का विवरण–(स्तम्भ संख्या 42 से 45)

4 क–दो फसली क्षेत्रफल (भूमि जिस पर एक से अधिक फसलें बोयी गयी हों)		4 ख–गैर फसली (परती) भूमि (ऐसी भूमि जिस पर फसल नहीं बोयी गयी)	
असिंचित	सिंचित	भूमि का वर्ग	क्षेत्रफल, हे0
42	43	44	45

भाग–08–विनिर्दिष्ट विवरण–(स्तम्भ संख्या 46)

5–विनिर्दिष्ट विवरण
46

11–उक्त नियमावली में, प्रपत्र–7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र–7क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:– प्रपत्र 7 क का बढ़ाया जाना

आर0सी0 प्रपत्र 7क
(नियम 27 देखें)
खतौनी (अधिकार अभिलेख)

जिला.....तहसील.....विकास खण्ड/स्थानीय निकाय.....थाना.....परगना.....राजस्व ग्राम.....
राजस्व ग्राम कोड .....फसली वर्ष .....

खातेदार की श्रेणी				श्रेणी कोड			विवरण
खातेदार का विवरण				भूमि का विवरण			
खतौनी खाता संख्या	नाम/पिता–पति–संरक्षक–प्रबन्धक का नाम/जाति कोड/आधार संख्या (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन संख्या (6–9 स्थान के अंक)/पता/जन्म दिनांक (अवयस्क हेतु)	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		खाते के प्रयेक गाटे का खसरा संख्या/अनन्य कोड	गाटे का कुल क्षेत्रफल	खातेदार का अंश	
		न्यायालय का नाम/कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या/आदेश का दिनांक/जोत का आधार	वर्ष			हिस्से में	क्षेत्रफल में
1	2	3	4	5	6	7	8

	नामान्तरण/खातेदार की श्रेणी परिवर्तन का विवरण			
खातेदार द्वारा संदेय भू–राजस्व	खारिज किया गया नाम			
	न्यायालय का नाम/कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या/आदेश का दिनांक/नामान्तरण का आधार	नाम/पिता–पति–संरक्षक–प्रबन्धक का नाम/जाति कोड/आधार संख्या (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन संख्या (6–9 स्थान के अंक)/पता/जन्म दिनांक (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर/यूनिक कोड	क्षेत्रफल
9	10	11	12	13

दर्ज किया गया नाम			अन्य विवरण		
			भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या	बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/आई0एफ0एस0 सी0 कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि)	टिप्पणी
नाम/पिता–पति–संरक्षक– प्रबन्धक का नाम/जाति कोड/आधार संख्या (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन संख्या (6–9 स्थान के अंक)/पता/जन्म दिनांक (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा संख्या/अनन्य कोड	क्षेत्रफल			
14	15	16	17	18	19

आज्ञा से,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1560/Ek-1–2020-R-1, dated December 29, 2020 :

No. 1560/Ek-1–2020-R-1

Dated Lucknow, December 29, 2020

IN exercise of the powers under section 233 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Revenue Code rules, 2016 :-

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called Uttar Pradesh Revenue Code (Third Amendment) Rules, 2020

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 16

2. In the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016, *hereinafter* referred to as the said rules, in rule 16 *after* sub-rule (6), the follwoing sub-rules shall be *inserted*, namely :-

(7) *For* fixation and demarcation of boundary of revenue villages, the construction of village bourndary pillars and its establishment shall be done as per Board orders issued from time to time. The concerned Gram Panchayat shall be responsible for maintainance and upkeep of revenue village boundary, and the funds available in Gram Nidhi or Consolidated Gram Nidhi may be used for this purpose.

(8) For the demarcation of various gatas/land parcels in a revenue village and its medhbandi, the construction and establishment of boundary pillars shall be done as per Board orders issued from time to time. The expenditure on construction of gata pillars and medhbandi shall be borne by the person who has filed demarcation suit under section 24 of the code.

(9) The following procedure shall be followed for determining the unique code and for fixation of latitue and longitude of all village boundary pillars located at boundary of the village-

(a) The boundary pillar may be located at boundary of two, three or four villages, At first, among the adjacent villages to which the boundary pillars are located, the revenue village code (6 digit) of the village having least village code number shall be written. After it the village code (6 digit) of the village having least village code number shall be written. After it the village code (6 digit) of second revenue village, adjacent to boundary pillar, whose code is larger than the code of first village but lower than the third village, if any, shall be written. After it, the gata number (5 digit) of village having lower village code number among these two revenue villages, on boundary of which pillar is located, shall be taken. In the end, the serial number of boundary pillar (2 digit), shall be written. In this way, a 19 digit unique code of that boundary pillar shall be generated.

Similarly, for determining the unique code of next the pillar, the code of the revenue village with least village code number and the next gata number, in which next pillar is located, will be used in the same manner as stated aforesaid.

(b) *After* completion of determining the code of all pillars in a village again the same process shall be followed in other village . Leaving out the pillars of next village the coding of which has been done, for the village with lower code number, the coding of other pillars shall be done granting number 01 to other pillars

(c) At the time of the coding of boundary pillars of a village, the boundary of which is contiguous with Uttarakhand, Himanchal Pradesh, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Union Territory of Delhi and Nepal as the first village located on such boundary, the census code of the concerned village of Uttar Pradesh shall be taken, whereas for the second village code of the concerned State, the six digit village code will be taken as follows:-

1- Nepal	NEPAL0
2-Uttarakhand	UKD000
3- Himanchal Pradesh	HIMP00
4- Haryana	HR0000
5-Delhi	DELHI0
6-Rajasthan	RAJ000
7- Madhya Pradesh	MP0000
8-Chhattisgarh	CHH000
9- Jharkhand	JHAR00
10-Bihar	BIHAR0

(D) *After* coding of boundary pillars located at boundaries of the villages, the latiude and longitude shall be fixed, so that the boundary pillars can be re-established on the same place in the eventuality of disappearance or destruction.

Amendment of rule 22

3. In the said Rules, *for* rule 22 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

Column-1	Column-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(1) Every application for settlement of boundary dispute under section 24(1) of the code shall be made to the sub-Divisional-Officer and it shall contain the following particulars:-	(1) Under section 24(1) of the Code the tenure holder shall submit two copies of the application for settlement of boundary dispute to the sub-Divisional-Officer for one or more than one contiguous gatas, and it shall contain the following particulars:-
(a)The names, perentage and addresses of the parties;	**(a) Details of Gata-** Gata number, name of tenure holder, father/husband's name of village/tehsil. If the tenure holders are more than one, then partculars of all shall be mentioned; current updated khatauni shall also be to be attached to the application.
(b)Plot number, area and boundaries of the land, along with its location;	**(b) Details of contiguous Gata-** Gata number, name of tenure holder, father/husband's name, name of village/ tehsil. If the tenure holders are more than one, then partculars of all shall be mentioned. Current updated khatauni shall also be attached to the application.
(c)Precise nature of the dispute.	(2) If the khata is different in khatauni, but sub-division is not done in sazra-map, then sub-division in sazra-map shall be necessary.
(2) No application for demarcation of boundaries under section 24(1) of the Code shall be entertained unless it is accompanied by certified extracts from the maps, Khasras and Record of rights (Khatauni) on the basis of which demarcation is sought, and the required amount calculated at the rate of Rs. 1000/- per survey number of the applicant as fee for demarcation has been paid by the applicant.	

Column-1 *Existing rule*	Column-2 *Rule as hereby substituted*
(3) If the application is for demercation of two or more than two adjoining plots, only one set or demarcation fee shall be payable but where the survey numbers sought to be demarcated are not adjoining, separate sets of demarcation fee shall be paid.	(3) If boundary of any property of Gram Panchayat/State Government is adjacent to gata/gatas to be demarcated, then the Chairman, Land Management committee/Gram Pradhan and the State Government shall be made a party in the case.
(4) On the receipt of the application the concerned official shall check the application as to whether the requirements have been fulfilled or not. If there is any defect of formal nature, the applicant or his council shall be permitted to remove the defect at once but where the requirements of the application have not been fulfilled, the applicant shall be afforded opportunity as sought for to fulfil the requirements.	(4) Only the outer boundary shall be demarcated for an application made for boundary demarcation of contiguous gatas.
(5) As soon as the requirements are fulfilled the official concerned shall register the application in the register concerned and put up the same before the Sub-Divisional-Officer for appropriate order.	(5) The applicant shall deposit a fee of Rs. 1000/- in Government treasury for the demarcation of gata/attached gatas. A copy of challan receipt shall also be attached with the application form.
(6) The Sub-Divisional-Officer shall pass order on the same day or on the next working day, directing the Revenue Inspector or other Revenue Officer to demarcate the plot or plots as the case may be after fixing a date and serving the notice in respect thereof to all the tenure holders concerned. This exercise ahsll be completed within a period of one month from the date of order passed by Sub-Divisional-Officer.	(6) On receipt of an application for demarcation, on the same or next working day, the Sub-Divisional-Officer shall register the case in Revenue Court Computerised Management System (RCCMS). Three copies of notices shall be issued from the computerized system and will be delivered to the Revnue Inspector through Tehsildar.
(7) The notice under sub-rule (6) of this rule shall be served on the concerned tenure holder or in his absence on his adult family member. The notice shall also be served on the Chairman of the Land Management Committee.	(7) The Revenue Inspector shall serve notice to the concerned tenure holder/tenure holders as mentioned in sub-rule (1), through the Lekhpal or through any other mode. In absence of the tenure holders, notice will be served to the adult family member of the tenure holder/tenure holders. The information of demarcation shall also be given to the Chairman, Land Management Committee.
(8) At the time of demarcation of the plot the spot memo shall be prepared by the Revenue Inspector or other revenue officer and the same shall be signed by all the parties concerned and by the parties concerned and by the Chairman of the Land Management Committee or any two independent witnesses present at the time of the demarcation. If any party refuses to sign the spot memo, the endorsement to the effect shall be made by the Revenue Inspector.	(8) At the time of sending the information or before the demarcation on site, if the Revenue Inspector wants to make any other affected person, a party to the case he can do so.

Column-1 *Existing rule*	Column-2 *Rule as hereby substituted*
(9) the Revenue Inspector or other revenue officer shall submit his report of demarcaton with spot memo within a period of fifteen days from teh date of demarcation. The name and address of the every affected party shall be disclosed in the report.	(9) After fixing the date of demarcation and intimation to all the concerned tenure holders, the Revenue Inspector or any other revenue official will demarcate the land, parcel or parcels, as the case may be, During demarcation if any affected tenure holder is not a party to the case, such tenure holder shall be made a party to the case by the Revenue Inspector on the spot and he will mention the same in his demarcation report. Demarcation shall be completed within a month from the date of order for the same by the Sub-Divisional-Officer.
(10) On receipt of the report under sub-rule (9), the notices shall be issued within one week to all the affected parfties inviting the objections on the report and the date shall be fixed which shall not be later than 15 days from the date of issuing the notice.	(10) The Revenue Inspector or other revenue officials shall prepare the demarcation report along with the site memo. If there are no objections to the same, then after getting the consent and signaure of all the concerned parties on the demarcation report, the same shall be sent it to the Sub-Divisional-Officer through Tehsildar in a week. On receipt of the aforesaid report of the Revenue Inspector, the Sub-Divisional-officer will pass the order confirming the demarcation report.
(11) On the date fixed or on any other date to which the hearing is adjourned, the Sub-Divisional Officer shall 10 decide the dispute regarding the bourdaries in accordance with the provisions of the sub-section (2) of the section 24 of the Code and pass the appropriate order after considering the report and the objections, if any, filed against the report and affording opportunity of hearing to the parties concerned.	(11) If the affected parties to the demarcation have not given their consent to the demarcation, or if there is any objection to the demarcation report, notice (s) will be issued by the Sub-Divisional-Officer to all the parties, fixing a date of hearing which shall not be beyond 15 days from the date of issuance of notice.
(12) If the report is confirmed by the Sub-Divisional Officer, the boundary pillars shall be fixed accordingly within a period of one week and report in respect thereof shall be submitted which shall be part of the record.	(12) The Sub-Divisional-Officer shall pass an order on the matter of boundary demercation after hearing all the concerned parties. The Revenue Inspector shall comply with such order within two weeks from the date of order, and shall submit his report to the Sub-Divisional-Officer.
(13) Where boundaries of plots/survey numbers are not identifiable or damaged, due to alluvion or diluvion or heavy rain or for any other reasons, the Sub-Divisional Officer may, on the application of the Chairman of the Village Revenue Commmittee of the village or on the report of Revenue Inspector or Lekhpal	(13) Where the boundary of gata/survey number is not recognizable due to alluvion or diluvion of land, or heavy rain, or due to damage caused by any other reason, then on the application of the Chairman of village Revenue Committee of that village, or on th report of the Revenue Inspector or Lekhpal, or on the joint application

Column-1 *Existing rule*	Column-2 *Rule as hereby substituted*
of the Circle or on the Joint application signed by all the tenure holdrs concerned, direct, by general or special order in writing, the Revenue Inspector or Lekhpal concerned to demarcate the boundaries on the spot on the basis of the existing survey map or where it is not possible, on the basis of the possession an to redress the grievance, if any, on the basis of the conciliation in consultation with the village Revenue Committee. The Revenue Inspector or the Lekhpal shall comply with the such order within two weeks from the date of the order and submit the report thereof to the Sub-Divisional Officer.	signed by all the concerned parties, the Sub-Divisional-Officer shall instruct the Revenue Inspector or Lekhpal by a general or special order in writing, that the demarcate the boundary on ground on the basis of current survey map or, where it is possible, on the basis of possession, and if there is any complaint, then on the advice of Village Revenue Committee, resolve the same on the basis of mutual consent. The Revenue Inspector or Lekhpal shall comply with such order within two weeks from the date of order, and will submit his report to the Sub-Divisional- Officer.
(14) If any party is aggrieved by the demarcation under sub-rule (13) of this rule, he may move application for demarcation of the boundaries under sub-section (1) of section 24 of the Code and the demarcation under sub-rule (13) will be subject to demarcation under sub-section (1) of section 24 of the code.	(14) At the time of passing order for demarcation under sub-rules (10), (13) or (14), the Sub-divisonal-Officer can direct the SHO of the concerned police station to make police force available on the sport at the time of demarcation of land, in order to maintaion law and order.
(15) The Sub Divisional Officer, at the time of passing 11 the order for the demarcation under section 24 of the Code or under sub-rule (13) of this rule, may direct the station officer of the police station concerned to make the place force available for maintaining the law and order on the spot at the time of demarcation.	(15) The Sub Divisional Officer, will try to complete the process within the stipulated time as mentioned in section 24(3) of the Code and if the process is not completed within such time then the reason for the same shall be recorded.
(16) The Sub Divisional Officer, shall make an endeavour to conclude the proceeding within the period specified in section 24(3) and if the proceeding is not concluded within such period the reason for the same shall be recorded.	

Amendment of rule 25

4. In the said Rules, *for* rule 25 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

Column-1 *Existing rule*	Column-2 *Rule as hereby substituted*
For every village, the Collector shall cause to be prepared and maintained a Field Book (Khasra) in R.C. Form-4 and also a map (showing the boundaries of survey number) wherein the changes referred to in section 30 shall be recorded.	(1) The Collector will get prepared and maintained a Field Book (Khasra) in R.C. Form-4 for each village, and keep a map (showing boundaries of Khasra nummbers or gata number) wherein the changes referred to in section 30 shall be recorded. (2) The Field Book (Khasra) for the years before Fasli year 1428 shall be kept in R.C. Form-4 and it shall be maintained and preserved according to Governments Orders and Board Orders issued from time to time.

Column-1 *Existing rule*	Column-2 *Rule as hereby substituted*
	(3) In the areas where U.P. Zamindari Abolition and Land Management Act, 1950 was in force, the Field Books (Khasra) of Fasli year 1428 and thereafter shall be kept in R.C. Form-4A in Computerized(digital) form. (4) At the end of Fasli Year, Khasra entries will be made unchangeable (be frozen) and the copy of Field Book (Khasra) in PDF or any other unchangeable format shall be eternally preserved at State Data Centre at Board level, or at Government Electronic Cloud, like Meghraj *etc.* one printed copy of the same will be preserved at Tehsil level as record till 12 years. (5) Entries in R.C. Form-4A will be recorded in computerized (digital) form as per Governments Orders and Board Orders issued from time to time.

Amendment of rule 27

5. In the said rules, *for* sub-rule 1 of rule 27 set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be *substituted* namely :-

Column-1 *Exidting sub-rule*	Column-2 *Sub-rule as hereby substituted*
(1) For every village, the Collector shall cause to be prepared and maintained a Record of Rights (Khatauni) in R.C. Form-7 which shall contain :-	(1) For every village, the Collector shall cause to be prepared and maintained a Record of Rights (Khatauni) in R.C. Form-7 or R.C. Form-7A which shall contain :-
(a) the particulars specified in clauses (a) to (d) of the said section;	(a) the particulars specified in clauses (a) to (d) of the said section;
(b) details of the declaration and cancelation referred to in section 83;	(b) details of the declaration and cancelation referred to in section 83;
(c) such other particulars as may form time to time be directed by the Board.	(c) such other particulars as may from time to time be directed by the Board.

Amendment of rule 31

6. In the said rules, in rule 31 *after* sub-rule (5) the following sub-rules shall be *inserted*, namely :-

(6) To record the uncontested inheritance by the Revenue Inspector, the proceedings of application for mutation and its disposal shall be done online as per the directions issued by Board from time to time.

(7) All the orders passed by Revenue Inspector shall also be recorded in the Revenue Court Computerised Management System (R.C.C.M.S.) The Incharge Revenue Inspector-Office can record the orders passed by Revenue Inspector in computerized Khatauni only when the *suo motu* generated application number of mutation by software and date of order passed by Revenue Inspector have been mentioned in the order.

Amendment of rule 99

7. In the said rules, *for* sub-rule (8) of rule 99 set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

Column-1 *Existing sub-rule*	Column-2 *Sub-rule as hereby substituted*
(8) After receiving the report submitted under sub-rule (3) and the objection, if any, if the Collector is satisfied that-	(8) After receiving the report submitted "under sub-rule (5)" and the objectin, if any, if the Collector is satisfied that-
(a)the conditions of clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 98 are fulfilled; or	(a)the conditions of clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 98 are fuilfilled; or
(b)the tenure holder or any member of his family is suffering from any fatal disease regarding which the certificate has been issued by any physician or surgeon specialist in the disease concerned and the permission for transfer is necessary to meet out the expenses for the treatment of such disease; or	(b)the tenure holder or any member of his family is suffering from any fatal disease regarding which the certificate has been issued by any physician or surgeon specialist in the disease concerned and the permission for transfer is necessary to meet out the expenses for the treatment of such disease: or
(c) the applicant is seeking permission under section 98(1) of the Code for the proposed transfer to purchase any other land from the consideration of such proposed transfer and the facts on this regard in the application are supported with certified copy of a registered agreement to sell in favour of the applicant; or	(c) the applicant is seeking permission under section 98(1) of the Code for the proposed transfer to purchase any other land from the consideration of such proposed transfer and the facts on this regard in the application are supported with certified copy of a registered agreement to sell in favour of the applicant; or
(d) the area of land held by the applicant on the date of application does not, after such transfer, reduce to less than 1.26 hectares, and	(d) the area of land held by the applicant on the date of application does not, after such transfer, reduce to less than 1.26 hectares, and
(e) if the permission is being sought for transfer by sale the consideration for the transfer of the land is not below the amount calculated as per the circle rate fixed by the Collector; he may grant the permission by recording the reasons.	(e) if the permission is being sought for transfer by sale and the consideration for the transfer of the land is not below the amount calculated as per the circle rate fixed by the Collector; he may grant the permission by recording the reasons.
Explanation :-For the removal of doubt it is a hereby clarified that if the condition enumerated in clause (d) of this sub-rule is not fulfilled but any condition enumerated in clauses (a) to (c) of this rule is fulfilled the permission under section 98(1) of the Code may be granted by Collector.	**Explanation** :-for the removal of doubt it is a hereby clarified that if the condition enumerated in clause (d) of this sub-rule is not fulfilled but any condition enumerated in clauses (a) to (c) of this rule is fulfilled the permission under section 98(1) of the Code may be granted by Collector.

Amendment of rule 101

8. In the said rules, *for* sub-rule (2) of rule 101 set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *subsitituted*, namely :-

Column-1 *Existing sub-rule*	Column-2 *Sub-rule as hereby substituted*
(2) Every such application shall be accompanied by certified copies of the Khatuani relating to the plots given as well as received in exchange, together with a copy of the resolution of the Bhumi Prabandhak Samiti in favour of such exchange.	(2) Every such application shall be accompanied by certified copies of the Khatauni relating to the plots, given as well as received in exchange, together with a copy of the resolution of the Bhumi Prabandhak Samiti in favour of such exchange or the *suo-motu* resolution of the Sub-Divisional-Officer approved by the Collector.

9. In the said rules, *for* rule 188 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :- Amendment of rule 188

Column-1	Column-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Where in relation to any suit, application or proceedings under the code, any express provision has been made in the said Code or these rules or regulations made thereunder, the provisions of the Code, these rules or regulations will appply, notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908, or the Limitation Act, 1963.	(1) Where in relation to any suit, application or proceedings under the code, any express provision has been made in the said code or these rules or Regulations made thereunder, the provisions of the Code, these rules or regulations will apply, notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908, or the Limitation Act, 1963. (2) all the cases under the Revenue Code 2006, will be registered on the Revenue Court Computerised Management System (R.C.C.M.S.) portal managed by Board. All Revenue Courts will pass the Orders only on self generated Bar Coded order-sheets issued by the computerised system, which will contain the full details of the case *i.e.* name of the court, case number, computeised case number, name of the parties, Section and the Act under which the case is registered and the Bar code at the top of each order sheet. The concerned Presiding Officer/Peshkar/ Reader/Assistent will also print blank order sheet, by logging in through his user I.D. and password on Revenue Court Computerised Management System (R.C.C.M.S.) portal, to record any order by hand. The computerised case number with the details of the case will also be printed in Bar code header on the top of the order sheet. (3) Any order passed on the plain paper other than from the self generated Bar coded order-sheets issued by the Revenue Court Computerised Management System (R.C.C.M.S.), will be illegal and unacceptable. (4)The Board can issue General or special instructions for the operation, determining procedure and digitisation and computerisation of Revenue Courts.

Insertion of Form 4A

10. In the said rules, *after* Form-4 the following Form-4A shall be *inserted*, namely.

R.C. Form-4(A)
(*see* rule *25*)
Khasra (Field Book)

Part-01-Detail of Gata-(column no. 01 to 05)

Khasra/Gata No.	Unique code of Gata	Area(Hec.)	Khata khatauni No.	Name of tenure holder as in part-2 of kahatauni
1	2	3	4	5

Part-02 Description of crop and irrigation facilities (column no. 06 to 20)

Kharif (2kh)					Rabi (2R)					Zaid (2za)				
Crop	Covered Area	Un-irrigated area	Irrigated area	Method of Irrigation	Crop	Covered Area	Un-irrigated area	Irrigated area	Method of Irrigation	Crop	Covered Area	Un-irrigated area	Irrigated area	Method of Irrigation
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Part-03- Natural calamity and details of disposal of agricultural residues-(column no. 21 to 26)

Crop	whether Crop is damaged by natural calamity	Type of natural calamity	Area effected by calamity	Details of damage	Disposal of agricultural residues (parali/straws burnt or not)
21	22	23	24	25	26

Part-04-Detail of trees-(column no. 27 to 28)

Species of trees in Gata	No. of trees in Gata
27	28

Part-05-Detail of non agricultural land-(column no. 29 to 34)

Column 29- whether the declaration of article 143 or 80 of Revenue Code, 2006 is pronounced for entire or any part of land holding----Yes/No

Type of non agricultural land uses	Area under non agricultural use	Area declared Non- agricultural	Case for declaring Non-agricultural/computerized case no.	Date of order for declaration of non- agricultural
30	31	32	33	34

Part-06-Description of Lease/Patta-(column no. 35 to 41)

Column 35-is land or part of land leased---Yes/No

Type of lease	Area	Name of lease holder	Address of lease holder	Lease Start Date	Lease End Date
36	37	38	39	40	41

Part-07-Do Fasli Area and details of un-cropped land-(column no. 42 to 45)

4A-Do Fasli area (land on which more than one crop is shown)		4B-Un-cropped (Parti) Land (land on which crops were not shown)	
Un-irrigated	Irrigated	class of Land	Area (Hec.)
42	43	44	45

Part-08-Specific detail-(column no. 46)

5-Specific detail
46

11. In the said rules, *after* Form-7 the following Form-7A shall be *inserted*, namely :- Insertion of Form 7A

R.C. Form-7A

(*see* rule 27)

Khatauni (Record of Right)

District.....Tehsil.....Vikas Khand/Local authority.....

Thana.....Pargana.....Revenue Village..... Revenue Village Code.....

Crop Year.....

Category of Khatedar				Category Code		Details:	
Details of Khatedar				Land detail			
Khatauni khata no.	Name/Name of Father-Husband-Guardian-Manager/Cast Code/Adhar no. (Last four digit) or Pan no. (6-9 placed digit no.)/Address/Date of Birth (for minor)	Details of Khatedari Beginning		Khasra no. of each Gata of Khata/ Unique Code	Total area of Gata	Share of Khatedar	
		Court Name/ Computerized case no. or order no./ order date/ basis of holding	Year			In Share	In area
1	2	3	4	5	6	7	8

	Mutation/Details of Change in Category of Khatedar			
Land Revenue to be paid by Khatedar	Cancelled Name			
	Court Name/Computerized case no. or order no./ order date/basis of mutation	Name/Name of Father-Husband-Guardian-Manager/Cast Code/ Adhar no. (Last four digit) or Pan no. (6-9 placed digit no.)/Address/Date of Birth (for minor)	Khasra no. of Gata/Unique code	Area
9	10	11	12	13

Entered Name			Other detail		
			Computerized no. of under consideration Revenue cases in relation to land	Mortgage Details (Institution or Bank's Name/IFSC code/Mortgage Date/Amount)	Comments
Name/Name of Father Husband-Guardian-Manager/Cast Code/Adhar no. (Last four digit) or Pan no. (6-9 placed digit no.)/ Address/Date of Birth (for minor)	Khasra no. of Gata/ Unique code	Area			
14	15	16	17	18	19

By order,

RENUKA KUMAR,

Apar Mukhya sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 558 राजपत्र–2021–(1157)–599 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 सा0 राजस्व–2021–(1158)–300 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।

संख्या–१२५२ /एक–1–2019–रा0–1

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः १५ जनवरी, 2020

विषयः– प्रत्येक राजस्व ग्राम में खेल के मैदान हेतु भूमि आरक्षित करने हेतु।

महोदय,

स्वस्थ लोकजीवन के लिए खेल अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक गतिविधि है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि प्रदेश के अधिकांश ग्रामों में खेल का मैदान पृथक रूप से चिन्हित न होने के कारण बच्चे खेलने के लिए अन्यान्य स्थानों पर जाते हैं, जहाँ उन्हें औपचारिक रूप से खेल का वातावरण एवं समुचित स्थान उपलब्ध न होने के कारण खेलने में अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ता है।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्राम में अनिवार्य रूप से 01 हेक्टेयर समुचित भूमि चिन्हित कर उस पर खेल का मैदान विकसित किया जाए। पृथक से खेल का मैदान/भूमि उपलब्ध न होने की दशा में प्राथमिक विद्यालय हेतु आरक्षित भूमि में से प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता से शेष बची भूमि में खेल का मैदान विकसित किया जाए। इसके अतिरिक्त खेल के मैदान हेतु भूमि चिन्हित करते समय प्राथमिक विद्यालयों के आस–पास ग्राम सभा की भूमि को प्राथमिकता दी जाए। उक्त दोनों प्रकार की स्थितियां न होने पर ग्राम में किसी अन्य स्थान पर भूमि का चयन किया जाए। जिन ग्रामों में अभी चकबन्दी चल रही है, उन ग्रामों में चकबन्दी विभाग द्वारा बचत से प्राप्त न्यूनतम 01 हेक्टेयर भूमि को खेल के मैदान के रूप में चिन्हित/आरक्षित कर दिया जाए।

3. उपर्युक्त प्रकार से चयनित भूमि पर खेल का मैदान विकसित करने हेतु अन्यथा सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में राज्य वित्त एवं मनरेगा की अनुमन्यता के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। सम्बन्धित भूमि पर उचित रीति से समतलीकरण कराकर खेल का मैदान विकसित किया जाए एवं उसकी सीमा सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में उस पर अतिक्रमण न हो सके।

4. उपरोक्तानुसार विकसित "खेल के मैदान" की देख–रेख सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा की जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जो खेल के मैदान स्कूल/विद्यालय परिसर से नजदीक विकसित किये जाय, उनका प्रयोग स्कूल/विद्यालय संचालन के समय नहीं किया जाय।

5. वर्णित स्थितियों में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर–2, 3 व 4 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समग्र विवरण राजस्व परिषद एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

15/1/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा/खेल/ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
3. चकबन्दी आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर पर पाक्षिक समीक्षा कर समग्र विवरण शासन को उपलब्ध करायें।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव

संलग्नक-6

संख्या -11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक - 06 जुलाई, 2020

विषय- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

शासन द्वारा ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निम्नवत् निर्धारण किया गया है :-

1- राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनॉक- 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन दशाओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो, संबंधित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी। (संलग्नक-1)

2- राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनॉक 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन दशाओं में, जहाँ राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हों, रुपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रुपये 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी। (संलग्नक-2)

3- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 से आच्छादित आरक्षित श्रेणी की भूमियों के श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनिमय की कार्यवाही नितांत अपवादात्मक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही की जायेगी और यदि धारा 77 से आच्छादित भूमि का श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण किया जाता है, तो उतनी ही अथवा उससे अधिक सामान्य श्रेणी की भूमि उसी अथवा निकटवर्ती ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में आरक्षित की जायेगी या धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय के माध्यम से की जायेगी। आरक्षित श्रेणी की भूमि का श्रेणी परिवर्तित करते समय या संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किये जाने के लिए या विनिमय किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति लोक उपयोगिता और उपयुक्तता सम्बन्धित कलेक्टर एवं मण्डलायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक- 03 जून 2016 एवं शासनादेश संख्या- 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक- 03 जून 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा उनके शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सेवारत विभाग, वाणिज्यिक विभाग तथा भारत सरकार के विभागों हेतु श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनिमय की कार्यवाही उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के आलोक में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-11/2020/689(1)/एक-1-2020-20(5)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
7. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
घनश्याम चतुर्वेदी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(संलग्नक : 1)

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016
लखनऊः दिनॉकः 06 जुलाई, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 219 के अधीन शक्तियों और अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 3 जून, 2016 का अधिक्रमण करके राज्यपाल, कलेक्टरों को, उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पांच), तथा (छः) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी वस्तु को वापस लेने की, उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां, उक्त संहिता की धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और उक्त संहिता की धारा 101(2) के परन्तुक की शक्तियां, उन दशाओं में, जहाँ वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड (5) के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो, प्रत्यायोजित करती हैं। ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जाएगा।

भवदीय
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(संलग्नक : 2)

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016
लखनऊः दिनॉकः 06 जुलाई, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 219 के अधीन शक्तियों और अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों तथा सभी मण्डलों के मण्डलायुक्तों को, नीचे अनुसूची में उल्लिखित सीमा तक, उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पांच), तथा (छः) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी वस्तु को वापस लेने की, उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य, शक्तियाँ, उक्त संहिता की धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और उक्त संहिता, की धारा 101(2) के परन्तुक की शक्तियाँ उन दशाओं में जहाँ वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड (5) के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हो, प्रत्यायोजित करती हैं।

अनुसूची

कलेक्टर — वस्तु या वस्तुयें, जिनका मूल्य 40 लाख रूपये से अधिक न हो।
मण्डलायुक्त — वस्तु या वस्तुयें, जिनका मूल्य 40 लाख रूपये से अधिक हो।

भवदीय
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या -12/2020/720/एक-1-2020-20(5)/2016

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक - 07 जुलाई, 2020

विषय- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय के प्रस्तावों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनॉक- 06 जुलाई, 2020 तथा अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनॉक- 06 जुलाई, 2020 द्वारा ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय की शक्ति कलेक्टर/मण्डलायुक्त को प्रतिनिहित की गयी है। उक्त के क्रियान्वयन के संबंध में राजस्व अनुभाग-1 का शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनॉक- 06 जुलाई, 2020 भी निर्गत किया जा चुका है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 06 जुलाई, 2020 से आच्छादित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय के नए प्रस्ताव शासन को प्रेषित न किए जाएं तथा पूर्व में प्रेषित ऐसे प्रकरण जिनके संबंध में दिनॉक- 06 जुलाई, 2020 तक शासन द्वारा श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय की अधिसूचना/शासनादेश निर्गत नहीं किए गए हैं, उन प्रकरणों के संबंध में राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनॉक- 06 जुलाई, 2020 के आलोक में कलेक्टर/मण्डलायुक्त के स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएं।

भवदीय
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 12/2020/720(1)/एक-1-2020-20(5)/2016 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
घनश्याम चतुर्वेदी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-8

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-22/1510/एक-1-2020-रा0-1
लखनऊ: दिनॉक: 29 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 14 की उपधारा (2) और धारा 219 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 67 के अधीन यथा विहित रूप में सहायक कलेक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए दिनांक 11 फरवरी, 2016 से तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) को प्राधिकृत करती हैं।

आज्ञा से,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.22/1510/Ek-1-2020-R-1, dated 29 December, 2020:

Notification

No.22/1510 /Ek-1-2020-R-1
Lucknow: Dated 29 December, 2020

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 14 and section 219 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no.8 of 2012), the Governor is pleased to authorize Tahsildar and Tahsildar (Judicial) to discharge the acts of Assistant Collector as prescribed under section 67 of the said Act, with effect from 11 February, 2016.

By order,
Renuka Kumar
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-9

फैक्स/ईमेल

संख्या– 1522 /एक–1–2020–रा0–1

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः 30 दिसम्बर, 2020

विषयः– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन 5.0586 हे0 से अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किये जाने से संबंधित प्रकिया का निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन 5.0586 हे0 से अधिक भूमि का संक्रमण प्रतिबन्धित है तथा राजस्व संहिता की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन जनहित में विकास एवं अन्य योजनाओं/परियोजनाओं के लिए विहित सीमा (5.0586 हे0) से अधिक भूमि के संक्रमण हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व अनुमति दिए जाने का प्राविधान है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–2164/79–वि–1–20–2(क)24/2020, दिनांक 28.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2020) प्रंख्यापित किया गया है, जिसमें धारा 89 की उपधारा (3) में संशोधन करते हुए निम्नवत् व्यवस्था की गई है :–

परन्तु यह कि जहाँ भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा, या निरसन के पूर्व यथा अधिनियमित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा कय की गयी हो, वहाँ राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी किसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत की दस प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा कय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता है।

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये किया गया है वहाँ वह ऐसे किसी अंतरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान कर सकती है।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत बिना पूर्व अनुमति के 5.0586 हे0 से अधिक कय की गयी भूमि के विनियमितीकरण/कार्योत्तर स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रकिया का निर्धारण किया जाता है :–

(1) सम्बन्धित व्यक्ति/समिति/संस्था/उद्योग/कम्पनी द्वारा 5.0586 हे0 से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण हेतु शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा जांचोपरान्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि की आवश्यकता के मानक के अनुसार भूमि को इंगित करते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि से सम्बन्धित यथावश्यकता अन्य विवरण प्राप्त किया जायेगा।

(3) सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि के विनियमितीकरण हेतु प्रचलित सर्किल दर के अनुसार विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत का 10 प्रतिशत का आगणन के साथ औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा बिना पूर्व अनुमति के क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश/अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(4) यदि प्रशासकीय विभाग को यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये किया गया है, तो प्रशासकीय विभाग द्वारा धारा 89 के उपधारा (3) में निर्धारित जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान करने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश/अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(5) प्रशासकीय विभाग एक साथ अपने विभाग के समस्त प्रकरणों पर मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश/अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् औपचारिक आदेश निर्गत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के राजस्व अनुभाग–1 को संदर्भित किया जायेगा।

(6) प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश/अनुमोदन प्राप्त होने पर राजस्व विभाग द्वारा आदेश निर्गत किये जायेंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

/

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

30/11/2020

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव

संलग्नक–10

फैक्स/ईमेल

संख्या–156 /एक–1–2021–रा0–1

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक28 जनवरी, 2021

विषयः– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा–89 की उपधारा (4) के अधीन 5.0586 हे0 से अधिक भूमि के संकमण की अनुमति हेतु समय–सीमा का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन 5.0586 हे0 से अधिक भूमि का संकमण प्रतिबन्धित है तथा राजस्व संहिता की धारा 89 की उपधारा (3) व (4) के अधीन जनहित में विकास एवं अन्य योजनाओं/परियोजनाओं के लिए 20.2344हे0 से 40.4688हे0 तक भूमि अर्जित अथवा कय करने की पूर्व अनुमति मण्डलायुक्त द्वारा दिए जाने का प्राविधान है।

2. इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोंपरान्त मण्डलायुक्त स्तर से 12.50 एकड़ से अधिक अनुमति दिये जाने के प्रकरणों को निस्तारित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन की सीमा निर्धारित की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

27/1/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव

संलग्नक-11

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या- २१८ /एक-1-2020-रा0-1
लखनऊ: दिनाँक: १० फरवरी, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 219 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 101 की उपधारा 2 के परन्तुक में वर्णित राज्य सरकार की शक्ति, ऐसी दशा में जहां शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, पी0पी0पी0 माडल पर निजी मेडिकल कालेजों की स्थापना तथा ऐसी निवेश परियोजनाएं जिन्हें शासन की विभिन्न नीतियों में लेटर आफ कम्फर्ट जारी हो चुका है, के प्रकरणों में चकरोड व नाली इत्यादि की भूमि का विनिमय किया जाना प्रस्तावित हो, मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधानित करते हैं।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- २१८ (1)/ एक-1-2020-रा0-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त।
3- समस्त जिलाधिकारी।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव